रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 1965 (ज्येष्ठ 1, 1887)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 1965 (JYAISTHA 1, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 10 मई 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th May 1965 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तारीख (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
48	No. 30-ITC(PN)/65, dated 5th May, 1965	Ministry of Commerce.	U.S. AID Programme—Chartering of Ocean Vessels and embargo on certain vessels for transport of AID-financed goods.
49	No. 31-ITC (PN)/65, dated 7th May, 1965.	Ministry of Commerce.	Import of cotton seed oil and/or Soyabean Oil from U.S.A. under the Agricultural Commodities Agreement signed on 30th September, 1964 between the Government of the United States and the Govt. of India under Title 1 of the U.S. Agricultural Trade Development and Assistance Act, as amended (P.L. 480) —Purchase Authorisations No. 39-150 and No. 39-156-OT both dated the 29th March, 1965.
	No. 32-ITC(PN)/65, dated 7th May, 1965.	Ministry of Commerce.	Import of Inedible tallow from U.S.A. under the Agricultural Commodities Agreement signed on 31st December, 1964 between the Govt. of the United States of America and the Govt. of India under Title 1 of the U.S. Agricultural Trade Development and Assistance Act, as amended (P. L. 480)—Purchase Authorisations No. 39-145 and 39-150 O.T. both dated the 18th March, 1965.
50	No. 1/ETC(PN)/65, dated 10th May, 1965.	Ministry of Commerce.	Export of Garments and made-up articles made from handloom fabric commonly known as "Bleeding Madras".

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
CONTENTS

	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	281
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	387
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	21
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	253
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ Pages
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	807
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	1791
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	141
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	335
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	177
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	37
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाए जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	2395
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	107
पूरक सं० 21—	
15 मई, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	685
24 अप्रैल, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	697

	Pages
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	281
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	387
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	21
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	253
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ...	807
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1791
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ...	141
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	335
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ...	177
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	37
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2395
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	107
SUPPLEMENT No. 21—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 15th May 1965	685
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 24th April 1965	697

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

योजना आयोग

श्रम नीति सम्बन्धी पैनल

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1965

सं० श्रम और रोज़गार (श्रम) 11-1/64—संकल्प संख्या श्रम और रोज़गार (श्रम) 11-1/64, दिनांक 30 जनवरी 1965 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न नाम श्रम नीति सम्बन्धी पैनल के सदस्यों की सूची में जोड़े जाते हैं :—

सदस्य

1. श्री पी० एम० मेनन,
   सचिव,
   श्रम व रोज़गार मंत्रालय,
   नई दिल्ली-1
2. श्री बी० के० आर० मेनन,
   मण्डी हाउस, नई दिल्ली-1

सदस्य-सचिव

श्री बी० एन० दातार,
प्रमुख, श्रम व रोज़गार,
योजना आयोग, नई दिल्ली-1

के० ए० पी० स्टीवेन्सन, संयुक्त सचिव

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सामुदायिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 1965

सं० 30/11/62-प्रशि० 2 (टी० 3)—भारत सरकार, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के 13 जून 1962 के संकल्प संख्या 17/14/61-प्रशि० 2, में जो 30 जून 1962 के भारत के राजपत्र, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित हुआ था और समय-समय पर इसके बारे में जो संशोधन जारी किए गए, आंशिक संशोधन करते हुए, अध्ययन तथा अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् की अद्यतन संरचना तथा सदस्यता निम्न प्रकार होगी :—

1. अध्यक्ष : सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री
2. उपाध्यक्ष : सामुदायिक विकास और सहकारिता उपमंत्री
3. सदस्य : —
   (1) श्री डी० बसुमतारी
   (2) श्री ब्रह्म प्रकाश
   (3) श्री जी० रामाचन्द्रन
   (4) श्री एस० एन० द्विवेदी
   (5) श्री दयाल दास कुरे
   (6) श्रीमती टी० लक्ष्मीकांतम्मा
   (7) श्री एच० सी० माथुर
   (8) प्रो० एच० एन० मुकर्जी
   (9) श्रीमती सावित्री निगम
   (10) श्री राजेश्वर पटेल
   (11) प्रो० ए० आर० वादिया
   (12) श्री एम० सत्यनारायण
   (13) श्री राम नारायण चौधरी
   (14) श्री धीरूभाई देसाई
   (15) डा० डी० एनस्मिंगर
   (16) प्रो० बी० एन० गांगुली
   (17) श्री ई० पी० गोपालन
   (18) प्रो० एन० आर० मल्कानी
   (19) श्री एस० एन० मजुमदार
   (20) श्री बी० मुकर्जी
   (21) श्री टी० एस० अविनाशीलिंगम चेटियर
   (22) श्री के० एस० वी० रमण
   (23) श्री एच० सी० लिंगा रेड्डी
   (24) श्री रघुबीर सहाय
   (25) प्रो० एम० एन० श्रीनिवास
   (26) विस्तार आयुक्त, कृषि विभाग,
   खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ।
   (27) श्री पी० एम० मथाई, निदेशक,
   औद्योगिक सहकारी समितियां,
   उद्योग विभाग, उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
   (28) डा० एन० जंगलवाला, उप-महानिदेशक,
   स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
   (29) कर्नल एस० जी० पेंडसे, प्रशिक्षण निदेशक,
   श्रम तथा रोज़गार मंत्रालय (महानिदेशक श्रम तथा रोज़गार), नई दिल्ली ।
   (30) श्री एल० ओ० जोशी, संयुक्त सचिव,
   शिक्षा मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
   (31) श्री एस० सी० सेनगुप्त, संयुक्त सचिव,
   सामाजिक सुरक्षा विभाग,
   नई दिल्ली ।
   (32) श्री एन० वी० वंकटारमण,
   सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
   (33) योजना आयोग के प्रतिनिधि,
   नई दिल्ली ।
   (34) श्री एन० पी० चटर्जी, संयुक्त सचिव,
   सहकारिता विभाग, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय ।
   (35) प्रधानाचार्य, सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय संस्थान,
   राजेन्द्र नगर, हैदराबाद ।

(36) डा० जे० एन० खोसला, निदेशक,
लोक प्रशासन का भारतीय संस्थान,
नई दिल्ली ।

(37) श्री एस० के० दत्ता, निदेशक,
प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी,
मसूरी ।

(38) श्री आर० एल० गुप्त, प्रधानाचार्य,
प्रशासनिक कर्मचारी कालिज,
हैदराबाद ।

(39) श्री वी० एस० मैथ्यूस,
पंचायतीराज आयुक्त तथा सचिव,
सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज विभाग,
उड़ीसा ।

(40) श्री एम० ए० कुरेशी, आयुक्त तथा सचिव,
कृषि उत्पादन तथा ग्राम विकास,
उत्तर प्रदेश ।

(41) श्री एन० अनंतपद्मनाभन, सचिव,
ग्राम विकास तथा स्थानीय प्रशासन विभाग,
मद्रास ।

(42) श्री आर० जी० साल्वी, सचिव,
ग्राम विकास विभाग,
महाराष्ट्र ।

(43) श्री आर० घोष, कृषि तथा सामुदायिक विकास आयुक्त
और पश्चिमी बंगाल सरकार के पदेन सचिव ।

4. सदस्य सचिव : श्री आई० डी० एन० साही, संयुक्त सचिव (प्रशि०), सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, सामुदायिक विकास विभाग, नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाए ।

के० पी० मिश्र, उप-सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1965

सं० 12/29/63-ई० प्रापर—भारत सुरक्षा नियम 1962 के नियम 133-बी के उप-नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि मि० शू फाइ चीह उर्फ ची फाइ ची, शू शाप, कालिम्पांग की भारत में समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो कि उनकी है या जिसका प्रबन्ध उनकी ओर से किया जाता है और जो कि भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 12/29/63-ई० प्रापर०, दिनांक 17-7-1963 के अनुसार भारत शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक के अधिकार में आ गई थी, अब उनके अधिकार में नहीं रहेगी और मि० शू फाई चीह उर्फ ची फाइ ची के अधिकार में पुनः चली जायगी ।

दिनांक 10 मई 1965

सं० 12/28/63-ई० प्रापर०—भारत रक्षा नियम 1962 के नियम 133-बी के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई भारत सरकार निदेश देती है कि श्री चुंग ते फांग, शू शाप, कालिम्पांग की भारत में जो चल तथा अचल सम्पत्ति है, अथवा जो उनके पास है अथवा उनके द्वारा जिसका प्रबन्ध किया जाता है और जो भारत के शत्रु सम्पत्ति संरक्षक के संरक्षण में भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 12/28/63-ई० प्रापर०, दिनांक 17 जुलाई 1963 से चली गई है वह अब पुनः श्री चुंग ते फांग के अधिकार में चली जायगी ।

डी० एन० बनर्जी, संयुक्त सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 1965

सं० 7(1)मेट/63—भारत धातु निगम (लि०), कलकत्ता से उत्पाद जस्ते की कीमत के पुनरीक्षण के लिये, जिसकी घोषणा कि गत वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संकल्प सं० 15(15)मेट/58 दिनांक 5 दिसम्बर 1959 जिसका संशोधन मंत्रालय के संकल्प सं० 15(1)मेट/60, दिनांक 22 अप्रैल 1961 और सं० 7(1) मेट/62, दि० 19 जून 1962 और अधिसूचना सं० 7(1)मेट/63, दि० 22 अप्रैल 1963 द्वारा की गई थी; एक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भारत सरकार ने निर्णय किया है कि धातु निगम द्वारा उत्पाद किये हुए जस्ते का कलकत्ता बाह्य उचित विक्रय मूल्य 1 अप्रैल 1964 से और आगे आदेश होने तक 1589 रु० प्रति मीटरी टन होगा ।

भारत धातु निगम, मेसर्स टाटा लोहा तथा इस्पात कम्पनी तथा मेसर्स भारत लोहा तथा इस्पात कम्पनी से प्रार्थना की जाती है कि वे उचित कार्रवाई के लिये उपर्युक्त पुनरीक्षण का ध्यान रखें ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सब सम्बद्धों को भेजी जाय और भारत राज पत्र में प्रकाशित की जाय ।

आर० एन० वासुदेव, संयुक्त सचिव

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय

(उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1965

संशोधन

सं० ई० ई० आई०-6(28)/64—उद्योग तथा संभरण मंत्रालय (भारी इंजीनियरिंग विभाग) के संकल्प संख्या ई० ई० आई०-6(28)/64, तारीख 24 दिसम्बर 1964 के सन्दर्भ में जिसमें विभिन्न ढलाईघरों की कच्चे लोहे की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये एक नामिका गठित की गई थी ।

2. संकल्प के पैरा 3 "नामिका में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे" के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :

क्रम संख्या (4) के सामने यह रख दिया जाये :

श्री के० सी० खन्ना, अधीक्षक, धमन भट्टी, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दुर्गापुर ।

क्रम संख्या (5) के पश्चात् जोड़िये :

(6) श्री पी० आर० नायर,
लोहा तथा इस्पात उप-नियंत्रक, कलकत्ता ।
विद्यमान क्रम संख्या (6) की पुनर्गणना करके क्रम संख्या (7) हो जायेगी ।

3. निश्चय किया गया है कि नामिका भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1965 के बदले 31 अगस्त 1965 को प्रस्तुत करेगी ।

के० एन० शिनाय, उप-सचिव

खाद्य और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

(भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 1965

सं० 10-3/65-काम० II—भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय के संस्ताव संख्या एफ० 43-11/48-काम, दिनांक 21 मई 1949 (जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया) की धारा 3(i) के द्वारा दिये गये अधिकार का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने डा० बी० पी० पाल, महा-निदेशक और उप-प्रधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, को 10 मई 1965 (पूर्वाह्न) से डा० एम० एस० रन्धावा के स्थान पर, भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के प्रधान के रूप में मनोनीत किया है।

आर० के० राम, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1965

सं० 55(23)/63-श्र० सं० 4—राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद), बम्बई के अधिनिर्णय के उन उपबन्धों का, जो शास्त्री अधिनिर्णय के क्षेत्र 4 के कर्मचारियों लेखे में बैंकों के लिए मंजूर किये जाने वाले अनुतोष से सम्बद्ध हैं, ठीक-ठीक निर्वचन चाहने के लिये भारत सरकार के श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के सं० का० आ० 483, तारीख 3 फरवरी 1964 के आदेश द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36क के अधीन औद्योगिक अधिकरण बम्बई को निर्दिष्ट किये गये मामले में उसका निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

ओ० पी० तलवाड़, अवर सचिव

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के समक्ष निर्देश संख्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 1964 का 23

कुछ बैंककारी कम्पनियों और कारपोरेशनों के सम्बन्ध में नियोजक

और

उनके कर्मकार

उपस्थित

श्री सलीम एम० मर्चेन्ट

पीठासीन आफिसर

उपसंजाति

बैंकों की ओर से—मेसर्स क्राफोर्डबेली एण्ड कम्पनी सालिसीटर्स के सालीसीटर श्री आर० सेतलूर, लेबर सेक्रेटेरीयट आफ बैंक्स इन इंडिया की ओर से श्री एन० आर० पंडित के साथ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की ओर से—क्राफोर्ड बेली एण्ड कम्पनी के सालिसीटर श्री आर० सेतलूर, स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारीवर्ग तथा विधि आफिसर श्री बैंकटाचारी के साथ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मकारों की ओर से—आल इंडिया स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ फैडरेशन की ओर से श्री एच० के० सोवानी, अधिवक्ता।

बैंकों के कर्मकारों की ओर से—आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज एसोसियेशन की ओर से उप-प्रधान श्री के० के० मंडल, केन्द्रीय समिति के सदस्य श्री वी० एम० चिटणिस के साथ।

आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज फैडरेशन की ओर से

प्रधान श्री सी० एल० दूधिया

महासचिव श्री वी० एन० सेखरी के साथ।

आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज फैडरेशन, कानपुर के महासचिव श्री एम० आर० सूद,

पंजाब प्रदेश बैंक वर्कर्स फैडरेशन, करनाल के प्रधान श्री एन० के० समर,

आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लायीज फैडरेशन के महा-सचिव श्री एम० राजगोपाल।

उद्योग : बैंककारी राज्य : समस्त भारत

मुम्बई, तारीख 31 मार्च 1965

विनिश्चय

केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम 14) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश सं० 55(23)/63-श्र० सं० 4, तारीख 3-फरवरी 1964 द्वारा, मुझे कुछ ऐसी कठिनाइयां विनिश्चय के लिये निर्दिष्ट की थीं जो भारत के राजपत्र-असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 29 जून 1962 में का० आ० सं० 2028 तारीख 13 जून 1962 सहित प्रकाशित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद), बम्बई के अधिनिर्णय से उद्भूत होने वाले उस प्रश्न के बारे में जो कि उक्त आदेश की निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, निर्वचन के सम्बन्ध में उसकी राय में उद्भूत हुई हैं :—

अनुसूची

"क्या भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 29 जून, 1962 में का० आ० सं० 2028, तारीख 13 जून 1962 सहित प्रकाशित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) के अधिनिर्णय के पैराग्राफ 5.362 में बैंकों के लिए उन कर्मकारों की उपलब्धियों लेखे जो कि शास्त्री अधिनिर्णय (यथा उपान्तरित) के अधीन क्षेत्र 4 के अन्तर्गत आने वाले स्थानों पर नियोजित थे, मंजूर किया गया अनुतोष उन क्षेत्रों में नियोजित कर्मकारों लेखे भी प्राप्य होगा जहां की जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार, 30,000 से अधिक है"

2. पक्षकारों द्वारा अपने-अपने लिखित कथन फाइल कर दिये जाने के पश्चात् निर्देश सुनवाई के लिये लिया गया और बहस 22-12-1964 को समाप्त हुई।

3. मैं आरंभ में ही कह देना चाहता हूं कि इस निर्देश का अब केवल भूतलक्षी महत्व रह गया है क्योंकि विवादग्रस्त क्षेत्र 4 मुख्य श्रमायुक्त द्वारा नई दिल्ली में किये गये त्रिपक्षीय सम्मेलन में हुए तारीख 18-8-1964 वाले करार के अधीन 1-9-1964 से क और ख वर्ग के बैंकों के बारे में विद्यमान नहीं रहा और ग वर्ग के बैंकों के लिये क्षेत्र 4, तारीख 20-8-1964 वाले एक अन्य त्रिपक्षीय करार के अधीन 1-1-1965 से विद्यमान नहीं रहा है। अतः इस निर्देश का सम्बन्ध अब केवल भूतकाल से रह गया है और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) के अधिनिर्णय (जिसे एतस्मिन् पश्चात् 'देसाई अधिनिर्णय' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पैराग्राफ 5.362 में अन्तर्विष्ट निर्देशों का जैसा कुछ भी निर्वचन किया जाता है उसका कोई भावी या आवर्ती प्रभाव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, इस निर्देश के विनिश्चय का प्रभाव, क और ख वर्ग के बैंकों की दशा में 31-8-1964 तक और ग वर्ग के बैंकों के बारे में 31-12-1964 तक सीमित रहेगा।

4. देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 के उपबन्धों पर विचार करने में, यह कथन करना आवश्यक है कि अखिल भारतीय औद्योगिक अधिकरण (बैंक विवाद) बम्बई का अधिनिर्णय (जो अधिकरण के सभापति के नाम पर जनसाधारण में शास्त्री अधिनिर्णय के रूप में

ज्ञात है) भारत के श्रम अपीलीय अधिकरण तथा औद्योगिक विवाद (बैंककारी कम्पनी) विनिश्चय अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 41) द्वारा उपान्तरित रूप में, देसाई अधिनिर्णय का प्रवर्तन होने तक, बैंककारी उद्योग में प्रवृत्त था।

5. (यथा उपान्तरित) शास्त्री अधिनिर्णय ने क्षेत्रों को मजूरी नियतन के प्रयोजन के लिये निम्नानुसार चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था :—

वर्ग 1 क्षेत्र	कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और अहमदाबाद शहर यथा शास्त्री अधिनिर्णय के पैराग्राफ 79 में परिभाषित।
वर्ग 2 क्षेत्र	सभी नगर और शहर जो वर्ग 1 क्षेत्र के अन्तर्गत से भिन्न हों जिनकी जनसंख्या 1951 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार एक लाख या अधिक है।
वर्ग 3 क्षेत्र	सब नगर और शहर जो वर्ग 1 और वर्ग 2 क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं हैं और जिनमें से हर एक की जनसंख्या 1951 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार तीस हजार से अधिक है।
वर्ग 4 क्षेत्र	वे सब स्थान जो पहिले से ही वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं है।

6. इस बात की ओर ध्यान दिया जाये कि वर्ग 4 क्षेत्र का समावेश भारत सरकार के उपान्तरण आदेश द्वारा किया गया था और उसे 1955 के अधिनियम 41 के अधीन वैधीकृत बैंक अधिनिर्णय आयोग की सिफारिशों द्वारा ठीक ठहराया गया था। यूनियनों की ओर से केस यह है कि कर्मकार क्षेत्र 4 के सृजन से असन्तुष्ट थे और उसके उत्सादन के लिये आन्दोलन कर रहे थे, और यह प्रश्न देसाई अधिकरण के समक्ष क्षेत्रों के वर्गीकरण के रूप में विचारार्थ आया था। देसाई अधिकरण ने क्षेत्रों के वर्गीकरण की बात को अपने अधिनिर्णय के 4.130 से 4.190 तक के पैराग्राफों द्वारा संव्यवहृत किया और जहां तक क्रमशः वाणिज्यिक बैंकों, स्टेट बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया के अनुषंगियों का सम्बन्ध था, उसने पैराग्राफ 4.177, 4.180 और 4.183 में दिये गये निदेशों के अधीन क्षेत्र 4 का उत्सादन कर दिया।

7. देसाई अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय के पैराग्राफ 4.184 में टिप्पणी की कि यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क, ख और ग वर्ग के बैंकों द्वारा क्षेत्र 3 में और क्षेत्र 4 में के लिपिकीय कर्मचारीवृन्द और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को देय कुल पारिश्रमिक में बहुत अधिक अन्तर है। इसके पश्चात् उसने आगे यह अवलोकन किया कि यदि क्षेत्र 3 के सम्बन्ध में उसके अधिनिर्णय के अधीन देय कुल पारिश्रमिक पर विचार किया जाये तो यह अन्तर और भी बढ़ जायेगा। तत्पश्चात् अधिकरण ने आगे यह अवलोकन किया कि :—

"यदि क्षेत्र 4 का उत्सादन तुरन्त कर दिया जाये तो क्षेत्र 4 में इस समय नियोजित कर्मकारों के कुल पारिश्रमिक में सहसा अयुक्तियुक्त वृद्धि हो जायेगी। वांछनीय यह है कि परिवर्तन धीरे-धीरे हो। यह अपर वांछनीय है कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि क्या किसी बैंक ने शाखा मेरे अधिनिर्णय के पश्चात् या मेरे अधिनिर्णय के प्रवृत्त होने के पहिले खोली है एक ही स्थान में कर्मकारों को देय कुल पारिश्रमिक में अन्तर नहीं होना चाहिए। तदनुसार मैं एक अल्प अन्तर्कालीन कालावधि के लिए उपबन्ध कर रहा हूं जिसके दौरान क्षेत्र 4 में क्रमिक रूप से उच्चतर मजूरियां तब तक दी जाएंगी जब तक कि वे क्षेत्र 3 में दी जाने वाली मजूरियों के स्तर तक नहीं आ जाती और क्षेत्र 4 अस्तित्व में नहीं रहता।

8. किन्तु देसाई अधिकरण ने क्षेत्र 1, 2 और 3 को अपने अधिनिर्णय के पैराग्राफ 4.189 और 4.190 में दिये गये निम्नलिखित निदेशों के अधीन जारी रखा :—

"4.189 इस अधिनिर्णय के अधीन—(I) क्षेत्र 1 में (1) वृहत्तर बम्बई सहित बम्बई शहर, (2) हावड़ा, बैरकपुर, बिहाला, अलीपुर, कोसीपुर, गार्डन रीच, बारंगोर टौलीगंज, दक्षिणी नगरोपान्तीय नगरपालीय क्षेत्र और डम डम सहित कलकत्ता शहर, (3) नई और पुरानी दिल्ली तथा दिल्ली शाहदरा सहित दिल्ली शहर, (4) मद्रास शहर, (5) अहमदाबाद शहर, (6) हैदराबाद शहर जिसमें हैदराबाद नगरपालीय निगम की सीमाओं के अन्तर्गत वाले क्षेत्र सिकन्दराबाद, सिकन्दराबाद छावनी तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र, मल्का जागिर, अलवल, जामिस्तापुर, अट्टापुर, फतेहनगर, बोवनपल्ली ललागुडा, कंडीकल और मचोवेलीरम के बहिवर्ती नगर यूनिट समाविष्ट हैं, (7) बंगलौर जिसमें बंगलौर कारपोरेशन सीमाओं के अन्तर्गत वाले क्षेत्र और बंगलौर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के अधीन अधिसूचित क्षेत्र समाविष्ट हैं किन्तु ट्रस्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित उपनगर और उपबस्तियां अपवर्जित हैं, (8) कल्याण, (9) थाना, और (10) उत्तरपाड़ा तथा वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जिनकी जनसंख्या बारह लाख से अधिक हो।

(II) क्षेत्र 2 में उन शहरों से भिन्न जो क्षेत्र 1 के अन्तर्गत हैं, वे सभी शहर जिनकी जनसंख्या एक लाख या अधिक है तथा भिवन्डी, चन्द्रनगर, चण्डीगढ़, चिनसुरा, कोचीन, डोम्बिवली, फिरोजपुर, काकीनद, नासिक, पिम्परी, पाण्डीचेरी, रायपुर, शिलोंग, तिरुनेलवेली और तूतीकोरन समाविष्ट हैं।

(III) क्षेत्र 3 में वे सब स्थान समाविष्ट होंगे जो पहिले ही क्षेत्र 1 और 2 के अन्तर्गत नहीं हैं।

4.190 क्षेत्रों के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिये अंतिम प्राप्य अखिल भारतीय जनगणना आंकड़ों को ही लेखे में लिया जाना चाहिये। ऐसा ही निदेश पहले के अधिकरणों द्वारा दिया गया था और मुझे भी यह श्रेयस्कर निदेश प्रतीत होता है। जब तक कि 1961 की जनगणना के जनसंख्या सम्बन्धी अंतिम आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक सरकारी तौर पर प्रकाशित अनन्तिम आंकड़ों को प्रयुक्त किया जाना चाहिए।"

9. क्षेत्र 4 के उत्सादन के परिणामस्वरूप देसाई अधिकरण ने बैंकों के लिए अपने अधिनिर्णय के पैराग्राफ 5.362 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार अनुतोष मंजूर किया था। इस अनुतोष के लिये उपबन्ध करने का कारण यह था कि यदि अपवादित सूची के बैंकों से भिन्न बैंकों को कोई अनुतोष नहीं दिया जाता तो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के संसंग में और कर्मकारों को अनुदत्त भविष्य निधि अंशदान तथा अन्य फायदों के संसंग में जो कि उनके मूल वेतन की रकम पर आश्रित हैं, भार में सहसा वृद्धि हो जाती जिसे वहन करने में बैंक असमर्थ होते। यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 में सेवा के प्रथम वर्ष में देय कुल उपलब्धियों को और देसाई अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 3 में सेवा के प्रथम वर्ष में देय कुल उपलब्धियों को सारणीबद्ध रूप में उपवर्णित करने के पश्चात् उस दशा में जिसमें कि बैंकों के लिए कोई अनुतोष मंजूर न किया जाता, देसाई अधिकरण ने अवलोकित किया।

"उपलब्धियों के दोनों सेटों के बीच भारी अन्तर को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि यह भार बैंकों पर यकायक नहीं पड़ना चाहिये किन्तु धीरे-धीरे पड़ना चाहिये जिससे कि बैंक नये वेतन मान और महंगाई भत्ते से अपना समायोजन कर सकें। तदनुसार मैं निदेश देता हूं कि उन सब कर्मकारों को, जो उस तारीख से अव्यवहित पूर्व जब कि यह अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17क के उपबन्धों के अधीन प्रवर्तनीय होता है, यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 को लागू वेतन

मानों के अनुसार मूल वेतन पाने के लिए हकदार थे, क्षेत्र 3 में लागू नये वेतन मानों में अपने जमा दिये जाने के पश्चात् मूल वेतन और महंगाई भत्ते के रूप में (I) 1 जनवरी 1962 से 1962 के वर्ष के अन्त तक उस रकम से जो कि एतद्द्वारा मंजूर किये गये अनुतोष के न दिये जाने पर उन्हें अन्यथा प्राप्त होती 20 प्रतिशत कम, (II) 1 जनवरी, 1963 से 1963 के वर्ष के अन्त तक उस रकम से जिसे प्राप्त करने के लिये वे तब उस दशा में हकदार होते जिसमें कि प्रारंभ (अर्थात् 1 जनवरी, 1962) से ही कोई अनुतोष मंजूर नहीं किया जाता, 15 प्रतिशत कम, (III) 1 जनवरी, 1964 से 1964 के वर्ष के अन्त तक उस रकम से जिसे प्राप्त करने के लिये वे तब उस दशा में हकदार होते जिसमें कि प्रारंभ (अर्थात् 1 जनवरी, 1962) से ही कोई अनुतोष मंजूर नहीं किया जाता, 10 प्रतिशत कम और (IV) 1 जनवरी, 1965 से 1965 के वर्ष के अन्त तक उस रकम से जिसे प्राप्त करने के लिये वे तब उस दशा में हकदार होते जिसमें कि प्रारंभ (अर्थात् 1 जनवरी, 1962) से ही कोई अनुतोष मंजूर नहीं किया जाता, 5 प्रतिशत कम, दिया जाना चाहिए। 1 जनवरी, 1966 से और उसके पश्चात् उन्हें वही रकम प्राप्त होगी जो एतद्द्वारा मंजूर किये गये अनुतोषों के न दिये जाने पर उन्हें अन्यथा प्राप्त होती। पूर्वोक्त रूप में उपबंधित अनुतोष उन कर्मकारों लेखे भी उपलब्ध होंगे जिनको कि यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं और जो उस तारीख से अव्यवहित पहिले जब यह अधिनिर्णय प्रवर्तनीय होता है क्षेत्र 4 के अन्तर्गत स्थानों में नियोजित थे। एतस्मिन् अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यह है कि किसी ऐसे कर्मकार को मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर बनने वाली कुल उपलब्धियों के रूप में उस रकम से न्यूनतर रकम नहीं दी जायेगी जो कि उसे उस दशा में प्राप्त होती जिसमें यह अधिनिर्णय उस पर लागू न किया गया होता। ऐसे अन्तर की रकम उसे विशेष समायोजन भत्ते के रूप में तब तक दी जायेगी जब तक कि इस अधिनिर्णय के अधीन मूल वेतन और महंगाई भत्ते के रूप में वर्धित रकमें उसे देय हो जाने के कारण, वह पूर्णतया संविलीन नहीं हो जाती।"

10. आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज फैडरेशन ने अपने लिखित कथन में निवेदित किया है कि देसाई अधिनिर्णय का परिपालन करते समय बैंकों ने अधिनिर्णय के उपबन्धों का अपनिर्वचन किया है और पूर्वकालिक क्षेत्र 4 के कर्मकारों को क्षेत्र 4 के उन स्थानों के कर्मकारों के समतुल्य माना है जिनकी जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार बढ़ गई है और बढ़ी हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप उन स्थानों का दरजा बढ़ाया जाना था। उसने यह तर्क किया है कि देसाई अधिनिर्णय के पैराग्राफ 5.362 में बैंकों के लिए मंजूर किया गया अनुतोष शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन केवल उन क्षेत्रों में उपलब्ध किया जा सकता है जहां की जनसंख्या 1961 की जनगणना के पूर्व और उसके पश्चात् तीस हजार से नीचे थी। दूसरे शब्दों में, उसने आग्रह किया है कि बैंक, देसाई अधिनिर्णय के पैराग्राफ 5.362 में उपबंधित अनुतोष के लिए दावा, उन वर्ग 4 क्षेत्रों में नियोजित कर्मकारों लेखे नहीं कर सकते जिनकी जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार 30,000 से अधिक हो गई है। उसने आग्रह किया है कि इन क्षेत्रों को अधिनिर्णय के पैरा 5.362 द्वारा मंजूर किये गये अनुतोष के प्रयोजन के लिये क्षेत्र 4 के रूप में मानने में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप, ऐसे क्षेत्रों का दरजा प्रसामान्य अनुक्रम में, बढ़ाया जा कर क्षेत्र 3 किया जाना था और ऐसे क्षेत्रों के कर्मकार अपनी उपलब्धियों का समायोजन क्षेत्र 3 के मानों के अनुसार कराने के लिये वैधरूपेण हकदार थे। इसने अन्त में यह आग्रह किया है कि बैंकों का इसके विपरीत मत और निर्वचन अन्यायानुमत और भेद मूलक ही नहीं अपितु अवैध और देसाई अधिनिर्णय तथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के उपबन्धों और भावना के विरुद्ध है। अतः इसने प्रार्थना की है अधिकरण को निदेश देना चाहिये कि बैंक, क्षेत्र 4 में जहां की जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार 30,000 से अधिक है नियोजित कर्मकारों लेखे उस अनुतोष के लिये हकदार नहीं है जो देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 द्वारा मंजूर किया गया है।

11. आल इंडिया स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ फैडरेशन ने, देसाई अधिनिर्णय के विभिन्न सुसंगत पैरों के प्रति निर्देश करने के पश्चात् जिनके प्रति निर्देश मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है, अपने लिखित कथन में बताया है कि कठिनाई इस सम्बन्ध में है कि क्या वह अनुतोष जो बैंकों के लिए देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 के अधीन मंजूर किया गया है, उन्हें शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 में भी मिलेगा जिसकी जनसंख्या जैसी कि वह 1961 की जनगणना के अनुसार है, 30,000 से ऊपर चली गई है। उसने यह बात जोर देकर कही है कि देसाई अधिनिर्णय के निदेशों के अतिरिक्त जिस बात पर विचार करना आवश्यक है वह यह है कि यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन भी क्षेत्र 4 में नियोजित कर्मचारियों की स्थिति तब क्या हुई होती जब कि 1961 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या 30,000 से अधिक होती। बहस करते हुए कहा गया है कि सरकार के उपान्तरण आदेश ने जब यह विहित किया कि 30,000 या उससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कोटि 4 के अन्तर्गत होने चाहिये तो उसका अर्थ यह नहीं था कि यदि किसी नगर विशेष का वर्गीकरण क्षेत्र 4 में किया गया था तो वह सदा क्षेत्र 4 में ही रहेगा और इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा कि उसकी जनसंख्या 30,000 से अधिक हो गई है। दूसरे शब्दों में उसका आशय यह कभी नहीं था कि जिस नगर का वर्गीकरण यथा संशोधित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 में कर दिया गया था वह सदा उसी क्षेत्र में बना रहेगा। उसका कहना है कि शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन भी वह नगर स्वतः ऊपर वाले ग्रेड में चला जायेगा जिसकी जनसंख्या 30,000 से बढ़ जाती है और यह कि देसाई अधिनिर्णय के अधीन भी शास्त्री अधिनिर्णय के क्षेत्र 4 का वह नगर, जिसकी जनसंख्या 1961 वाली जनगणना के अधीन 30,000 या उससे अधिक थी, अपने आप ही कोटि 4 में नहीं रहेगा और जो भी अनुतोष बैंक के लिए उसके ऐसे क्षेत्र 4 वाले कर्मचारियों लेखे मंजूर किये गये थे वे ऐसे नगर के बारे में उसे लागू नहीं होंगे क्योंकि ऐसे अनुतोष केवल उस क्षेत्र को लागू होने थे जिसकी जनसंख्या 30,000 से कम हो। उसका कहना है कि पैरा 4.190 में देसाई अधिनिर्णय द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह निदेशित किया गया था कि क्षेत्रों के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए केवल नवीनतम उपलब्ध अखिल भारतीय आंकड़ों पर ही विचार किया जाना चाहिये। चूंकि 1961 की जनगणना के आंकड़े नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं इसलिए केवल उन्हीं पर विचार किया जाना चाहिये। उसका कहना है कि इस का केवल एक ही परिणाम निकाला जा सकता है और वह यह है कि पैरा 5.362 के अधीन बैंकों के लिए मंजूर किये गये अनुतोष उन्हें उन कर्मकारों लेखे नहीं मिलेंगे जो ऐसे क्षेत्रों में नियोजित हैं जिनकी जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार 30,000 से अधिक है। उसका कथन है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने दिल्ली सर्किल के नगरों के बारे में जिनकी जनसंख्या 1951 की जनगणना के अनुसार 30,000 से कम थी और जिनकी संख्या 1961 की जनगणना के अनुसार 30,000 से बढ़ गयी थी उसी निर्वचन का प्रयोग किया है और इस संघ ने अपने लिखित कथन के पैरा 12 में दिल्ली सर्किल के ऐसे 12 नगरों के नाम दिये हैं।

12. आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज एसोसियेशन ने (जिसे एतस्मिन् पश्चात् "एसोसियेशन" को रूप में निर्दिष्ट किया गया है) अपने लिखित कथन में सेन अधिकरण के समय से इस विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विस्तृत विवेचन किया है। उसने देसाई अधिनिर्णय के अनेक निदेश भी उद्धृत किये हैं जिनके प्रति निर्देश इससे पहले किया जा चुका है। उसने कहा है कि पैरा 5.362 के अधीन देसाई अधिकरण ने तत्काल ही क्षेत्र 4 का अन्त नहीं किया वरन् बैंकों के लिए अनुतोष मंजूर किया जिससे क्षेत्र 4 के उत्सादन का भार उन पर अकस्मात् न आ पड़े और बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के नये अधिनिर्णीत मानों के साथ अपना समायोजन कर सकें। उसने

देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 में उन बैंकों से सम्बन्ध उपबन्ध का विनिर्दिष्ट रूप से निर्देश किया है जो कि शास्त्री अधिनिर्णय से शासित नहीं थे और उसमें अन्तर्विष्ट निम्नलिखित टिप्पणी उद्धृत की है :—

"यथा पूर्वोक्त उपबंधित अनुतोष उन कर्मकारों लेखे भी उपलभ्य थे जिनको यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के उपबन्ध लागू नहीं थे और जो उस तारीख के ठीक पहले जब कि यह अधिनिर्णय प्रवृत्त हुआ क्षेत्र 4 के अन्दर पड़ने वाले स्थानों में नियोजित थे।"

एसोसियेशन ने (1) लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारीवर्ग के लिए वार्षिक वेतन-वृद्धियों का अनुदान (पैरा 5.187 और 5.188 देखिए), (2) भविष्य निधि अंशदान (पैरा 7.24), (3) अतिकाल भत्ते का संदाय (पैरा 10.46), (4) क्षेत्र में विभिन्न कर्मचारियों के समायोजन (पैरा 5.351) की बाबत देसाई अधिनिर्णय के निदेशों के प्रति निर्देश अपने इस तर्क के समर्थन में किया कि देसाई अधिनिर्णय में यह परिकल्पित था कि कुछ क्षेत्र, मूलतः शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन, जनसंख्या में वृद्धि के कारण ऊपर वाले ग्रेड में चले जायेंगे जिसका आधार शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन 1951 वाली जनगणना और देसाई अधिनिर्णय के अधीन 1961 वाली जनगणना थी। और एसोसियेशन के अनुसार ये उपबन्ध, देसाई अधिनिर्णय के पैरा 19.13 (1) के अधीन 1-1-1962 से प्रवृत्त हो गये।

13. यहां पर मैं यह बताना चाहता हूं कि एसोसियेशन के उपाध्यक्ष श्री के० के० मण्डल ने सुनवाई के समय यह भी कहा कि पैरा 5.362 के अधीन बैंकों के लिए मंजूर किये गये अनुतोष के प्रयोजनों के लिए देसाई अधिनिर्णय के उन उपबन्धों पर विचार नहीं किया गया था जो वेतन वृद्धियों, भविष्य निधि अंशदानों, विशेष भत्तों और अतिकाल संदायों के बारे में थे।

14. और आगे एसोसियेशन ने, नगर की जनसंख्या पर विचार करने के प्रयोजन के लिए, अपने लिखित कथन में देसाई अधिनिर्णय के पैरा 6.27 के प्रति निर्देश किया है और पैरा 18 में कहा है कि देसाई अधिकरण को इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि अंतिम और अनन्तिम रूप से तैयार जनसंख्या आंकड़ों में अन्तर हो सकता है और इसलिए कार्यकारी निधियों के आधार पर भविष्य में ग्रेडों के ऊपर नीचे होने के प्रति निर्देश करने के पश्चात् उसने क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए अपने अधिनिर्णय के पैरा 5.360 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी :—

"जब कोई स्थान तत्पश्चात् उच्चतर या निम्नतर क्षेत्र में चला जाता है तब वैसे ही उपबन्ध जैसे कि ऊपर नियत हैं यथा परिवर्तित रूप में लागू होंगे।"

एसोसियेशन ने अपने लिखित कथन के पैरा 19 में देसाई अधिनिर्णय की उस टिप्पणी की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया है जो पैरा 4.147 में है और कहा है कि यह दर्शित करता है कि इंडियन बैंक एसोसियेशन ने देसाई अधिकरण के समक्ष इस मत का आश्रय लिया था कि भारत सरकार द्वारा तैयार की गई जनगणना रिपोर्ट ही केवल ऐसे वर्गीकरण का आधार होना चाहिए। उसने कहा है कि एक्सचेंज बैंक एसोसिएशन (देसाई अधिनिर्णय का पैरा 4.148 देखिए) और स्टेट बैंक आफ इंडिया और साथ ही उस के समनुषंगियों ने और नार्दर्न इंडिया बैंक एसोसियेशन (देसाई अधिनिर्णय के पैरा 4.149, 4.150 और 4.151 देखिए) ने भी देसाई अधिकरण के समक्ष ऐसे ही मत का आश्रय लिया था। जो तर्क एसोसियेशन पेश करना चाहता था वह यह था कि उस समय जब कि यह संघ क्षेत्रवार वर्गीकरण या जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण के विरुद्ध था, यह बैंक ही थे (अपनी विभिन्न एसोसिएशनों द्वारा) उन्होंने देसाई अधिकरण के समक्ष जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण के लिए जोर दिया था और यह कि देसाई अधिकरण ने बैंक की वह बात मान ली और क्षेत्रवार जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण के लिए निदेश दिये जैसा कि ऊपर दर्शित है।

15. एसोसिएशन ने अपने लिखित कथन के पैरा 23 में कहा है कि क्षेत्रों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में देसाई अधिनिर्णय के परिपालन में बैंकों ने यह समझ रखा था कि शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 में सब स्थान क्षेत्र 4 ही समझे जायेंगे जब कि इनमें से कुछ स्थान 1961 की जनगणना के आधार पर ऊपर वाले ग्रेड में पहुंच चुके थे। उसका कहना है कि ऐसे क्षेत्रों के बैंक कर्मचारी न केवल क्षेत्र 3 की मजूरी के फायदों से वंचित किये गए हैं वरन् उन्हें 1962 में 20 प्रतिशत कम, 1963 में 15 प्रतिशत कम और 1964 में 10 प्रतिशत कम मजूरी दी गई है। उस का यह भी कहना है कि बैंकों द्वारा अपनाये गये इस रवैय्ये में विरोधाभास भी है क्योंकि उन बैंकों ने जो शास्त्री अधिनिर्णय से शासित नहीं थे क्षेत्रों का वर्गीकरण 1961 की जनगणना के अनुसार किया है जबकि अन्य बैंकों ने 1951 की जनगणना के अनुसार वर्गीकरण जारी रखा है। उसने कहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन का वर्गीकरण कुछ बैंकों द्वारा वर्ग 3 क्षेत्रों के रूप में किया गया है जबकि कुछ अन्य बैंकों ने उन्हीं क्षेत्रों का वर्गीकरण वर्ग 4 क्षेत्रों के रूप में किया है।

16. ऐसोसियेशन ने दावे के अपने लिखित कथन के पैरा 24 में बताया है कि 31-12-1961 को, अर्थात् उस तारीख से ठीक पहले वाली तारीख को जब कि देसाई अधिनिर्णय भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ, 30,000 और उस से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र पैरा 5.362 के अधीन अनुतोष का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए क्षेत्र 4 के रूप में माने जाने वाले थे और ऐसे कोटिकरण के अभाव में वे स्वतः देसाई अधिनिर्णय के अधीन होंगे। इसलिए, उस का कहना है कि इसका परिणाम यह निकलता है कि 30,000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र धारा 5.362 के उपबन्धों के प्रवर्तन से अपवर्जित रहेगा।

17. एसोसियेशन का कहना है कि जनसंख्या अभिनिश्चित करने का देसाई अधिनिर्णय के पैरा 4.190 और 6.27 द्वारा यथाविहित आधार 1961 की जनगणना था और पैरा 5.362 का इस प्रकार लगाया गया कोई अर्थ जिस से 1951 की जनगणना के आंकड़ों को आधार समझा जाये देसाई अधिनिर्णय के सारभूत निदेशों को बातिल कर देगा।

18. एसोसियेशन ने यह भी कहा है कि सब क्षेत्रों पर 1961 वाली जनगणना को लागू करने में यह परिकल्पित है कि वे 1951 की जनगणना के अधीन पूर्ववर्ती कोटिकरण से उठकर क्षेत्र 1 या क्षेत्र 2 या क्षेत्र 3 के उच्चतर ग्रेडों में चले जायेंगे। उसने बताया है कि 1951 की जनगणना के अधीन कुछ पूर्ववर्ती क्षेत्र 3 स्थान ऐसे थे जिनको 1961 की जनगणना के आधार पर क्षेत्र 2 वाले ग्रेड में किया जाना चाहिए था और यह कि 1951 की जनगणना के अधीन क्षेत्र 4 उस दशा में आवश्यक रूप से क्षेत्र 3 वाले उच्चतर ग्रेड में पहुंच जायेगा जिस में 1961 की जनगणना के अधीन उसकी जनसंख्या 30,000 से बढ़ गई हो। उसने कहा है कि अन्यथा रूप से तर्क करने पर बैंकों को दोहरा अनुतोष मिल जायेगा जो अधिकरण का आशय कभी भी नहीं था। दूसरे शब्दों में उसका कहना है कि यदि 1951 की जनगणना के आंकड़ों के अधीन कोई क्षेत्र 4 देसाई अधिकरण द्वारा अपनाये गये 1961 के आधार पर बढ़ाकर क्षेत्र 3 वाले ग्रेड में कर दिया जाता है तो उन क्षेत्रों के कर्मचारी क्षेत्र 3 की मजूरी के हकदार 1-1-1962 से अर्थात् उस तारीख से हो जायेंगे जब से कि देसाई अधिनिर्णय के अधीन वेतनमान, विशेष भत्ते और महंगाई भत्ते अधिनिर्णय के पैरा 5.347 और 19.13 के अधीन प्रवृत्त हुए। एसोसियेशन ने कहा है कि कुछ बैंकों ने यह तर्क स्वीकार कर लिया है किन्तु 1-1-1962 से भूतलक्षी प्रभाव के लिए कर्मकारों का दावा अभी तक विद्यमान है। एसोसियेशन ने कहा है कि देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 के अधीन बैंकों के लिए मंजूर किया गया अनुतोष उस वेतन लेखे था जैसा कि वह 1-1-1962 को था न कि भावी वेतनवृद्धियों या भविष्य में होने वाली महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी लेखे और यह कि देसाई अधिनिर्णय

के पैरा 5.362 के नीचे दी गई सारणी उस के तर्क का प्रमाण है। उस का कहना है कि बैंकों ने वार्षिक वेतन वृद्धियों की दरें और साथ ही महंगाई भत्ते की वृद्धियां 1962, 1963 और 1964 में क्रमशः 20 प्रतिशत 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के अनुपात में घटा दी हैं जो उसके कथनानुसार न्यायानुमत नहीं है क्योंकि पैरा 5.362 में विशेष भत्ते और उस पर आनुषंगिक महंगाई भत्ते लेखे अनुतोष के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। एसोसियेशन ने कहा कि उसने 16 सितम्बर, 1963 वाले अपने पत्र के द्वारा वेतन-वृद्धियों, उन पर महंगाई भत्ते, अतिकाल संदायों और भविष्य निधि में अंशदान की मात्रा में कमी के विषयों में विवाद उठाया था किन्तु भारत सरकार ने केवल यही निर्देश किया जोकि इस जांच का विषय है और उसने 3 मार्च, 1964 वाले अपने पत्र (उपाबन्ध 'क') के द्वारा एसोसियेशन को परामर्श दिया था कि वेतन-वृद्धियों भविष्य निधि, अतिकाल आदि में कटौती की बाबत संघ की शिकायतों से सम्बद्ध विषय उस वाद पद के साथ संग्रथित हैं जिसका निर्देश स्पष्टीकरण के लिए इस अधिकरण को इस निर्देश के अधीन किया गया है। एसोसियेशन ने दावे के अपने लिखित कथन के पैरा 35 में वे निदेश कथित किये हैं जो इस निर्देश से दिये जाने चाहिये और उसने इस बात पर जोर दिया है कि 1962, 1963 और 1964 में क्रमशः 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कटौती जो पैरा 5.362 में उपबन्धित है केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ते को लागू होनी चाहिए और अन्य भत्तों को अर्थात् अतिकाल भत्ते, वेतन-वृद्धियों भविष्य निधि अंशदान आदि को लागू नहीं होनी चाहिये। इस लिए उसका कहना है कि अधिकरण द्वारा निर्देश का उत्तर यह निदेश दे कर दिया जाना चाहिए कि उन कर्मकारों की उपलब्धियों के बारे में, जो शास्त्री अधिनिर्णय (यथा उपान्तरित) के अधीन क्षेत्र 4 के अन्तर्गत आने वाले स्थानों में नियोजित थे, पैरा 5.362 द्वारा दिये गये अनुतोष उन क्षेत्रों में नियोजित कर्मकारों लेखे उपलब्ध नहीं होंगे जहां की जन-संख्या 1961 की जनगणना के अनुसार 30,000 से अधिक है।

19. मुझे अब, (1) स्टेट बैंक आफ इंडिया की ओर से और (2) साधारणतया बैंकों की ओर से भारत में बैंकों के श्रम सचिवालय द्वारा फाइल किये गये लिखित कथन पर ध्यान देना चाहिए।

20. स्टेट बैंक आफ इंडिया ने तारीख 15 जून 1964 वाले अपने लिखित कथन में कहा है कि किसी भी प्रकार के सन्देह या कठिनाई की गुंजाइश नहीं है और शास्त्री अधिनिर्णय के पैरा 5.362 के निर्देशों का सही और यथार्थ निर्वचन यह है कि अनुतोष बैंकों की उन शाखाओं और कार्यालयों के बारे में जो उस तारीख के ठीक पूर्व जिस को उक्त अधिनिर्णय प्रवृत्त हुआ, यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 के रूप में वर्गीकृत थे अथवा ऐसे बैंकों के बारे में जो यथा उपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय द्वारा शासित नहीं थे और जो 1951 की जनगणना के अनुकूल 30,000 या कम जनसंख्या वाले स्थानों में थे, लागू होते हैं।

21. स्टेट बैंक आफ इंडिया ने आगे यह निवेदित किया है कि संघों द्वारा, पैरा 5.362 के उपबन्धों पर दिये गये निर्वचन ऐसी दो मूल उपधारणाओं से निकले हैं जो कि अननुमत और अधार्य थीं अर्थात् (i) कि यथा उपांतरित शास्त्री अधिनिर्णय ने यह उपबन्ध किया है कि क्षेत्र 4 के स्थान 1961 की जनगणना रिपोर्ट का विचार किये बिना स्वतः बढ़कर क्षेत्र 3 के स्थान बन जायेंगे, (ii) कि देसाई अधिकरण ने निदेश दिया था कि यथा उपांतरित शास्त्री अधिनिर्णय के अनुकूल क्षेत्रानुसार वर्गीकरण का विशेष रूप से क्षेत्र 4 का अवधारण करने में 1961 की जनगणना के आंकड़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए था चाहे वह अनंतिम हों या अंतिम। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने प्रथम उप-धारण के बारे में यह तर्क किया है कि यह पर्याप्त रूपेण स्पष्ट है कि यथा उपांतरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्रानुसार वर्गीकरण अनन्यत 1951 की जनगणना आंकड़ों पर आधारित था और यथा उपांतरित शास्त्री अधिनिर्णय में किसी स्थान के बढ़ाने या कम करने का कोई निदेश नहीं है।

22. स्टेट बैंक आफ इंडिया ने द्वितीय उप-धारणा के बारे में यह कथन किया है कि यह स्पष्ट था कि देसाई अधिकरण ने यह निदेश दिया था कि केवल तीन क्षेत्र होने चाहिये। इसने यह अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार यह कल्पना नहीं की जा सकती कि देसाई अधिनिर्णय ने क्षेत्र 4 को परिभाषित किया था जोकि उसके अपने निदेशों के अनुकूल विद्यमान ही नहीं होना था, कि देसाई अधिनिर्णय ने जहाँ कहीं भी क्षेत्र 4 का उल्लेख किया इसका निदश 'यथा उपांतरित शास्त्री अधिनिर्णय के क्षेत्र 4' या 'पहले के क्षेत्र 4' के प्रति था।

23. इसने यह निवेदन किया है कि दोनों उप-धारणाओं में से कोई भी, देसाई अधिनिर्णय की ही नहीं वरन् शास्त्री अधिनिर्णय की भी भाषा और निदेशों पर, आघात किये बिना नहीं मानी जा सकती। इसने आगे यह भी निवेदन किया है कि निर्देशाधीन प्रश्न का निबटारा करते समय जोकि उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36-क के अधीन निर्देशत किया गया है इस अधिकरण को शास्त्री या देसाई अधिनिर्णय की अनुपूर्ति करने की आधिकारिता नहीं है। इसने अनुरोध किया है कि यदि संघों का तर्क मान लिया जाय तो इसका परिणाम देसाई अधिकरण के अधिनिर्णय के पैरा 5.362 द्वारा दिये गये अनुतोष का पूर्ण बातिलकरण होगा और ऐसे कारणों का जिनसे कि ऐसा अनुतोष दिया गया था निर्थरक कर देना होगा।

24. स्टेट बैंक ने तब अपने लिखित कथन में उन विभिन्न तर्कों और निवेदनों का उत्तर दिया है जो आल इंडिया स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन और स्टेट बैंक आफ इंडिया एम्प्लायीज ऐसोसियेशन दिल्ली सर्किल द्वारा अपने लिखित कथनों में किये गये हैं। उन निवेदनों को उद्धृत करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनमें से जो सुसंगत हैं उनको मैं दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये निवेदनों के गुणागुणों की चर्चा करते समय लूंगा।

25. भारत के बैंक के लेबर सेक्रेटेरियेट का तारीख 24 मार्च 1964 वाला लिखित कथन स्टेट बैंक आफ इंडिया की ओर से फाइल किये गये लिखित कथन के पैटर्न का है और उसमें भी वैसी ही प्रारम्भिक आपत्तियां और तर्क निवेदित हैं जैसी स्टेट बैंक आफ इंडिया ने की हैं। उसने अपने लिखित कथन में उन तर्कों और निवेदनों की चर्चा की है जोकि आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज एसोसियेशन और आल इंडिया बैंक एम्प्लायीज फेडरेशन द्वारा फाइल किए गए दावों के लिखित कथनों में अन्तर्विष्ट है और उन तर्कों और निवेदनों की चर्चा में गुणागुणों के आधार पर निर्देश की चर्चा के समय करूंगा।

26. मैं इस निर्देशन का विनिश्चय करते समय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम 14) की धारा 36क के अधीन जांच के लिए उस प्रविषय और मर्यादा का ध्यान रखूंगा जो कि किर्लोस्कर आइल इंजिन्स लिमिटेड, किर्की पूना और उसके 15 श्रमिक तथा दो अन्य (1961-2 एल०एल०जे०—पृ० 675) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी थी और जिसमें न्यायमूर्तियों ने यह अवलोकन किया है कि धारा 35-क के अधीन अवेक्षित कार्यवाहियों का आशय अधिकरण द्वारा अपने आदेशों का पुनर्विलोकन या उपान्तरण नहीं है और यह कि इसका प्रविषय किसी अधिनिर्णय के किसी उपबन्ध के निर्वचन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और संदेहों के अवधारण तक मर्यादित है तथा किसी अधिनिर्णय के औचित्य, शुद्धता या विधिवतता के बारे में कोई प्रश्न, इस धारा द्वारा अवेक्षित जांच के पर्यवलोकन से बाहर होगा।

27. बैंकों की ओर से श्री सेतलूर ने यह तर्क किया है कि निर्देश के आदेश की अनुसूची स्वयं यह अभिधारित करती है कि क्षेत्र 4, शास्त्री अधिनिर्णय (यथा उपान्तरित) का क्षेत्र 4 है और प्रश्न यह है कि क्या धारा 5.362 के अधीन यह गुंजाइश है कि फायदे उन क्षेत्रों तक बढ़ा दिये जायें जिनकी जनसंख्या 1961 की जनसंगणना के अनुकूल 30,000 से अधिक है। उसने यह भी तर्क किया है कि निर्देशित प्रश्न यह नहीं है कि क्या अधिनिर्णय के किन्हीं निदेशों के निर्वचन के बारे में कोई संदेह या कठिनाई है बल्कि यह कि क्या देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 के उपबन्ध 1961 की जनगणना के अधीन 30,000 या अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर लागू होने चाहिए। उसके अनुकूल इसका यह तात्पर्य निकलता है कि सरकार ने अधिकरण से अधिनिर्णय का निर्वचन करने के लिए नहीं बल्कि उसकी अनुपूर्ति करने के लिए कहा है।

28. मेरी राय में निर्देश के सम्बन्ध में यह आपत्तिमान्य नहीं है। निर्देश का आदेश स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करता है कि उक्त आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रश्न के सम्बन्ध में उक्त अधिनिर्णय के निर्वाचन के बारे में कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। अनुसूची उस प्रश्न को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करती है जिसके निर्वचन के बारे में संदेह है और कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं और छोटा-सा प्रश्न यह है कि क्या शास्त्री अधिनिर्णय (यथा उपांतरित) के अधीन क्षेत्र 4 में नियोजित कर्मकारों की उपलब्धियों लेखे देसाई अधिनिर्णय की कंडिका 5.362 के अधीन बैंकों के लिए मंजूर किया गया अनुतोष ऐसे क्षेत्रों में नियोजित कर्मकारों लेखे भी प्राप्य होगा जिनकी जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुकूल 30,000 से अधिक है। इस बाबत कोई सन्देह नहीं हो सकता कि नर्देश का सम्बन्ध शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन उन क्षेत्रों से है जो वर्ग 4 के क्षेत्र थे क्योंकि 1951 की जनगणना के अधीन उनकी जनसंख्या 30,000 से कम थी किन्तु 1961 की जनगणना के अधीन उनकी जनसंख्या बढ़कर 30,000 से अधिक हो गयी थी। अन्य किसी क्षेत्र के निर्देशित किये जाने का प्रश्न ही नहीं हो सकता था क्योंकि देसाई अधिनिर्णय के अधीन कोई वर्ग 4 क्षेत्र नहीं है। मेरी राय में सरकार द्वारा जो निर्देश किया गया है वह यह प्रश्न है कि शास्त्री अधिनिर्णय (यथा उपांतरित) के अधीन ऐसे वर्ग 4 क्षेत्र के, जिसकी जनसंख्या 1961 की जनगणना के अधीन 30,000 से अधिक हो गयी है, नियोजितियों की उपलब्धियों लेखे बैंकों के लिए मंजूर किये गये अनुतोष से सम्बन्धित देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 में अन्तर्विष्ट निदेशों का समुचित निर्वचन किया है। मेरी राय में यह, देसाई अधिनिर्णय के एक पैरा (पैरा 5.362) के निर्वाचन का निर्देश है कि न उस अधिनिर्णय के किसी भाग की अनुपूर्ति का परिणामतः मैं समझता हूं कि निर्देश विधिवत है और उसकी विधिवतता के बारे में श्री सेतलूर द्वारा निवेदित आपत्ति नहीं ठहर सकती।

29. प्रतिकूल प्रभाव बिना श्री सेतलूर ने आगे यह निवेदन किया है कि निर्देश के अधीन निर्वचन का प्रविषय देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 तक सीमित है और अधिकरण के आशय और उसके विचार का निर्वाचन वैसा होना चाहिए जैसा उन शब्दों द्वारा प्रकट है जो उसने अपने अधिनिर्णय के उस पैरा में प्रयुक्त किये हैं यह बात निसंदेह सत्य है परन्तु सीमित माने में। मेरी राय में, किसी अधिनिर्णय के किसी भी भाग में अन्तर्विष्ट निदेशों के प्रविषय का इस मामले में देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 का निर्वचन करते समय अधिनिर्णय के ऐसे अन्य संबद्ध पैरा की ओर निर्देश करना, अनुज्ञेय ही नहीं बल्कि आवश्यक भी होगा जो इस बात पर प्रकाश डाले कि अधिकरण का उन निदेशों में, वास्तविक आशय क्या था, जो कि उसने अपने अधिनिर्णय के विवादग्रस्त पैरा के अधीन दिये और इसी कारण ऐसा है कि दोनों पक्षों ने अपने-अपने लिखित कथनों और निवेदनों में अधिनिर्णय के उन अन्य पैराओं का निर्देश किया है और उनका आश्रय लिया है जो उनकी राय में, उन निदेशों को देने में जो अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय के पैरा 5.362 में दिये हैं और उसके आशय का अवधारण करने के लिए सुसंगत और आवश्यक थे।

30. बैंककारी उद्योग में क्षेत्रानुसार वर्गीकरण का इतिहास ऊपर निदर्शित पक्षकारों के लिखित कथनों में पहले ही देखा जा चुका है। देसाई अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय के पैरा 4.130 में क्षेत्रानुसार वर्गीकरण के प्रश्न से बरता है। देसाई अधिनिर्णय में हुई चर्चा से स्पष्ट है कि बैंक नियोजितियों के प्रतिनिधियों ने शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन, सब क्षेत्रों, विशेष रूप से, क्षेत्र 4 के उत्सादन के लिए, उसके सामने आग्रह किया था और यही मुख्य कारण था जिससे देसाई अधिनिर्णय में अन्तर्विष्ट निदेशों द्वारा क्षेत्र 4 उत्सादित हुआ। देसाई अधिनिर्णय ने बैंकों की संदाय सामर्थ्य को उपदर्शित या दर्शित करने के लिए बैंकों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया और उन क्षेत्रों में रहन-सहन के खर्चे के आधार पर, बड़ी जनसंख्या वाले बड़े शहरों को, कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों से अधिक महंगे समझ कर, क्षेत्रानुसार वर्गीकरण का भी उपबन्ध किया। जैसा कि श्री दूधिया द्वारा ठीक ही कहा गया है रहन-सहन का खर्च अवधारित करने की दृष्टि से, जो कि उन आधारों में से एक है जिन पर कि कर्मकारों को भजूरीमान और अन्य फायदे अनुदत्त किये गये थे, क्षेत्रों के विविध वर्गों के क्षेत्रों के रहन-सहन के खर्च में विभेद करने के लिए एक जनसंख्या रेखा निर्धारित की जानी थी। इसमें भी तनिक संदेह नहीं है कि क्षेत्रानुसार वर्गीकरण के वास्ते जनसंख्या का आधार अवधारित करने के लिए जहां शास्त्री अधिनिर्णय ने 1951 की जनगणना के आंकड़ों को स्वीकार किया वहां देसाई अधिनिर्णय ने 1961 की जनगणना के आंकड़ों को देसाई अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय के पैरा 4.190 में यह कथित किया है कि क्षेत्रों के वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए "अखिल भारतीय जनगणना के नवीनतम प्राप्य आंकड़ों को ही ध्यान में रखना चाहिये।" उसने आगे यह अवलोकन किया कि वैसा ही निदेश पिछले अधिकरण (शास्त्री अधिकरण) द्वारा दिया गया था और यह एक समुचित निदेश था। यही कारण है कि अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय के पैरा 4.190 में निम्नरूप से निर्दिष्ट किया था :—

"जब तक नवीनतम 1961 की जनगणना के अंतिम शासकीय जनसंख्या आंकड़े प्राप्य न हों, तब तक यथा शासकीय रूपेण प्रकाशित अनन्तिम आंकड़ें स्वीकार किये जाने चाहिये।" इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि देसाई अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्रों का वर्गीकरण 1961 की जनगणना की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर होना था। देसाई अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय के पैरा 4.134 में शास्त्री अधिकरण द्वारा अपनाये गये क्षेत्रानुसार वर्गीकरण के आधार की चर्चा की और पश्चातवर्ती पैराओं में इस का इतिहास बताया कि क्षेत्रानुसार वर्गीकरण बैंक आयोग द्वारा अंतिम रूप से कैसे संशोधित हुआ। देसाई अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय के पैरा 4.41 में क्षेत्रानुसार वर्गीकरण के प्रतिसंघों के विरोध की चर्चा की है और पैरा 4.162, 4.165, 4.167 और 4.172 में उन तर्कों पर विचार किया है जिनका निवेदन बैंकों द्वारा क्षेत्र 4 को जारी रखने के लिए किया गया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्षेत्र 4 के लिए विहित निम्नतर वेतनमान का परिणाम यह नहीं हुआ कि इन क्षेत्रों में बैंकों की और अधिक शाखाएं खुलें और पैरा 4.177 में उसने अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि जहां तक कि वाणिज्यिक बैंकों का सम्बन्ध है क्षेत्र 4 जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैरा 4.180 में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां तक स्टेट बैंक आफ इंडिया का सम्बन्ध है क्षेत्र 4 जारी नहीं रखा जाना चाहिए और पैरा 4.183 में उसने यह कथित किया कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के संसंग में क्षेत्र 4 के उत्सादन के लिए उसके द्वारा कथित कारण, उसके समनुसंगियों पर समानरूप से लागू होंगी और यह कि क्षेत्र 4 के सम्बन्ध में इन बैंकों को भी देश के शेष बैंकों का अनुकरण करना चाहिए और पैरा 4.183 की अंतिम पंक्ति में उसने अपनी राय निम्नरूपेण अभिव्यक्त की :—

"मेरा विचार है कि क्षेत्र 4 के सम्बन्ध में इन बैंकों को भी देश के शेष बैंकों का अनुसरण करना चाहिये। मेरे विचार में क्षेत्र 4 का उत्सादन कर देना चाहिये।"

पैरा 4.184 में देसाई अधिनिर्णय ने यह नोट किया कि क्षेत्र 3 में और क्षेत्र 4 में (यथोपान्तरित), शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क, ख, ग वर्ग बैंकों द्वारा लिपिक वृन्द और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को देय कुल पारिश्रमिक में बहुत अधिक अन्तर है। उसने आगे यह नोट किया कि यदि क्षेत्र 3 में इसके अपने अधिनिर्णय के अधीन देय कुल पारिश्रमिक पर विचार किया जाए तो अन्तर और भी तीव्र हो जाएगा। उसने अवलोकन किया कि यदि क्षेत्र 4 का उत्सादन एक ही बार में कर दिया जाए तो क्षेत्र 4 में इस समय नियोजित कर्मकारों के कुल पारिश्रमिक में सहसा भारी वृद्धि हो जाएगी। अतः इसने निम्नरूप अवलोकन किया :—

> "वांछनीय यह है कि परिवर्तन धीरे-धीरे हो। यह अपर वांछनीय है कि, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि क्या किसी बैंक ने शाखा मेरे अधिनिर्णय के पश्चात् या मेरे अधिनिर्णय के प्रवृत्त होने के पहिले खोली है, एक ही स्थान में कर्मकारों को देय कुल पारिश्रमिक में अन्तर नहीं होना चाहिए। तदनुसार, मैं एक अल्प अन्तर्कालीन कालावधि के लिए उपबन्ध कर रहा हूं। जिसके दौरान क्षेत्र 4 में क्रमिक रूप से उच्चत्तर मजूरियां तब तक दी जायेंगी जब तक कि वे क्षेत्र 3 में दी जाने वाली मजूरियों के स्तर तक नहीं आ जातीं और क्षेत्र 4 अस्तित्व में नहीं रहता।"

31. श्री सोवानी ने जो ऑल इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन तथा ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा फेडरेशन की ओर से उपसंजात हुए, यह तर्क किया कि पैरा 4.184 में दिये गये निदेशों के साथ पठित पैरा 5.362 का प्रभाव यह है कि 1-1-1962 को क्षेत्र 4 उत्सादित नहीं हुआ किन्तु अपर कालावधि के लिए जारी रहा और 1966 में उत्सादित होगा, किन्तु तब तक 1961 के जनगणना आंकड़ों के अधीन वर्धित जनसंख्या से दरजा बढ़ाने के बारे में पैरा 5.351 के उपबन्ध लागू होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.351 में दिये गये निदेशों की ओर निर्देश किया जाए जो एक छोटा-सा पैरा है जिस में अधिकरण स्पष्ट रूप में निम्नलिखित निदेश करता है :—

> पैरा 5.351 "1 जनवरी, 1962 से क्षेत्र 4 की समाप्ति और विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले स्थानों का दरजा बढ़ाने के परिणामस्वरूप, यथोपान्तरित शास्त्री अधनिर्णय के अनुसार क्षेत्र 4 और अन्य क्षेत्रों में नियोजित कर्मकारों को उन नये वेतन मानों में समायोजित कर दिया जाएगा जो उन क्षेत्रों को लागू होते हैं जिनमें ऐसे स्थान इस अधिनिर्णय के अधीन आते हैं।"

संघों के सभी प्रतिनिधियों ने अधिनिर्णय के इस पैरा का आश्रय लिया है और इस में तनिक भी संदेह नहीं कि इस पैरा से देसाई अधिनिर्णय का जो अर्थ था वह यह है कि (यथोपान्तरित) शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 के स्थानों में नियोजित कर्मकारों को उन नये वेतनमानों में समायोजित कर दिया जाएगा। जो उन क्षेत्रों के लिए हैं जिन में ये स्थान देसाई अधिनिर्णय के अधीन आते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था इस में तनिक भी संदेह नहीं कि देसाई अधिनिर्णय ने अपने द्वारा विहित तीन क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए 1961 के जनगणना आंकड़ों को आधार के रूप में अपनाया था। इसलिए, अपने अधिनिर्णय के पैरा 5.351 में जब देसाई अधिकरण ने यह निदेश किया कि यथोपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अनुसार क्षेत्र 4 और अन्य क्षेत्रों में नियोजित कर्मकारों को उन नये वेतनमानों में समायोजित किया जाएगा जो उन क्षेत्रों को लागू होते हैं जिन में ऐसे स्थान उसके अधिनिर्णय के अधीन आते हैं तो उसका अर्थ यह था कि "भूतपूर्व क्षेत्र 4" (और देसाई अधिनिर्णय ने इस पदावली का अपने अधिनिर्णय में बार बार प्रयोग किया है) के नियोजितियों को उन वेतनमानों में समायोजित किया जाना चाहिये जो 1961 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर वर्गीकृत क्षेत्रों को लागू होते है। देसाई अधिनिर्णय के अधीन 1961 के जनगणना आंड़ों के आधार पर, 100,000 (एक लाख) से कम जनगणना वाले स्थान क्षेत्र 3 में वर्गीकृत किए जाते थे (देखिए पैरा 4.189 उप-पैरा (III) इसलिए, पैरा 5.351 में अंतर्विष्ट निदेशों के साथ पठित पैरा 5.362 में अन्तर्विष्ट निदेश का केवल यह अर्थ हो सकता है कि यथोपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 के उन स्थानों के कर्मकारों को, जिन की जनसंख्या 1961 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर 30,000 से अधिक हो गई थी, देसाई अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 3 के बैंकों के लिए विहित वेतनमानों में समायोजित किया जाना था किन्तु बैंकों को पैरा 5.362 में वर्णित अनुतोष मिलना था अर्थात् 1962, 1963, 1964 और 1965 में उन्हें इन वर्षों में से हरएक के लिए क्रमशः 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कम संदाय तब तक करना था जब तक कि 1966 में बैंकों को अनुतोष समाप्त हो जाए और क्षेत्र 4 की पूर्णतया समाप्ति हो जाय।" मेरा पूर्ण समाधान हो गया है कि, जैसा कि श्री सोवानी और श्री दूधिया द्वारा संकथित है, पैरा 5.351 का निर्देश 1961 की जनसंख्या के जनगणना आंकड़ों के प्रति है और इसलिए यथोपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 के जिन नगरों की जनसंख्या 1961 की जनगणना आंकड़ों के अधीन 30,000 से अधिक हो गई थी उनकी बाबत यह समझा जायेगा कि उनका दरजा देसाई अधिनिर्णय के अधीन बढ़ाकर क्षेत्र 3 कर दिया गया है। मैं श्री सोवानी के इस संकथन को मानता हूं कि यह पैरा परिकल्पित करता है कि जो 1961 की जनगणना के अधीन उच्चतर क्षेत्र में आते हैं वे वेतन के उच्चतर ग्रेड प्राप्त करेंगे।

32. श्री सैतलूर ने मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि पैरा 5.351 में 1961 की जनसंख्या के आंकड़ों के प्रति कोई निर्देश नहीं है। वह तो निस्सन्देह सही है, किन्तु इस अधिनिर्णय के पूर्ववर्ती पैरा 4.190 में, जिसकी ओर पहले ही ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, दिये गये स्पष्ट निदेशों को ध्यान में रखते हुये "वे क्षेत्र जिन में इस अधिनिर्णय के अधीन ऐसे स्थान आते हैं" शब्दों से उन स्थानों के सिवाय कोई अर्थ नहीं हो सकता जो कि 1961 की जनसंख्या के जनगणना आंकड़ों के अधीन किसी विशिष्ट क्षेत्र में आते हैं।

इस सम्बन्ध में कर्मकारों के प्रतिनिधियों ने भी पैरा 5.353 और 5.354 में अन्तर्विष्ट निदेशों के प्रति निर्देश किया है, जिन में "द्वितीय" समूह में आने वाले कर्मकारों के समायोजन प्रति निर्देश किया गया है? अधिनिर्णय के पैरा 5.347 के अधीन "द्वितीय समूह" में हैं वे "कर्मकार, जो प्रथम जनवरी, 1962 को उन बैंकों में नियोजित किये गये थे जो यथोपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के उपबन्धों द्वारा शासित नहीं थे और जो मूलवेतन यथोपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय द्वारा उपबन्धित वेतनमानों के आधार पर नहीं प्राप्त कर रहे थे।" कर्मकारों के इस द्वितीय समूह को देसाई अधिनिर्णय में अणिनिर्णीत वेतनमानों में समायोजित करने के संबंध में देसाई अधिकरण ने पैरा 5.354 में निदेशित किया कि "1-1-1962 को कर्मकारों का समायोजन यथोपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन उपबन्धित समुचित वेतनमानों में सम्पृक्त बैंकों की चालू निधियों और जहां कर्मकार नियोजित किये गये उन स्थानों को ध्यान में रखते हुये किया जाएगा" और पैरा 3.555 के अधीन निदेश किया कि "कर्मकारों के इस प्रकार सैद्धान्तिक रूप से समायोजित किये जाने के पश्चात् उन्हें ऊपर यथावर्णित प्रथम समूह के कर्मकारों को लागू उपबन्ध के आधार पर इस अधिनिर्णय द्वारा उपबन्धित नये वेतनमानों में पुनः समायोजित किया जाएगा" पूर्वतन पैरा है पैरा 5.357 में श्री मंडल द्वारा प्रस्तुत और श्री दूधिया तथा श्री सोवानी द्वारा किये गये निवेदनों द्वारा समर्थित यह संकथन मानता हूं कि यदि उनका निर्वचन न माना जाये तो उससे यह असंगत स्थिति पैदा हो जायेगी कि यथोपान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय द्वारा शासित न होने वाले बैंक के कर्मकार, जिसकी जनसंख्या 1961 की जनगणना के अधीन मान लीजिये 31,000 थी, देसाई अधिनिर्णय के अधीन पूरे ग्रेड 3 के मान के फायदे प्राप्त करेंगे जब कि शास्त्री

अधिनिर्णय द्वारा शासित बैंकों के नियोजिती, 1961 की जनगणना के अधीन 31,000 जनसंख्या वाले वर्ग 4 क्षेत्रों में ग्रेड 3 के वेतन-मानों का पूरा फायदा प्राप्त नहीं करेंगे । उन्होंने ठीक आग्रह किया है कि यह असामंजस्य या असंगति पैदा नहीं होने देनी चाहिये और यह कि इसे तभी दूर किया जा सकता है जब कि दोनों नियोजितियों को यथोअन्तरित शास्त्री अधिनिर्णय द्वारा शासित बैंकों के वर्ग 4 क्षेत्रों में रखा जाए और जो बैंक शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन नहीं आते थे उनके वर्ग 4 क्षेत्रों के नियोजितियों को देसाई अधिनिर्णय के अधीन उसी स्तर पर रखा जाए और यही देसाई अधिनिर्णय का आशय था ।

33. पक्षकारों ने पैरा 5.358 में अंतर्विष्ट निदेशों की ओर भी निर्देश किया है जो यह उपबन्ध करता है कि "भविष्य में जब कभी अपनी चालू निधियों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप यथा उपबन्धित रूप में किसी बैंक का दरजा बढ़ाया जाता है तब उस बैंक में उस समय नियोजित कर्मकार उस वर्ग को जिस तक उस बैंक का दर्जा बढ़ाया गया है लागू वेतनमानों में समायोजित किये जायेंगे ।" मैं नहीं समझता कि यह निदेश शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 के कर्मकारों को, 1961 की जनगणना के अधीन उसकी जनसंख्या के 30,000 से अधिक हो जाने पर, वर्ग 3 क्षेत्रों के वेतनमानों का फायदा प्राप्त करने से अपवर्जित करता है । यदि देसाई अधिकरण का आशय अन्यथा होता तो वह वैसा निदेश करता । इसके विपरीत, देसाई अधिनिर्णय के विभिन्न पैरों से यह स्पष्ट है कि उसका ऐसा कोई आशय नहीं था ।

कामगारों के प्रतिनिधियों के निवेदनों से तथा जैसा पहले कहा गया है देसाई अधिनिर्णय में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुकूल, मेरा समाधान हो गया है कि देसाई अधिनिर्णय का अभिप्राय यथो-पान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 का दरजा बढ़ाकर क्षेत्र 3 करना था यदि 1961 की जनगणना आंकड़ों के अधीन ऐसे स्थान की जनसंख्या 30,000 से अधिक हो जाये ।

34. मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात महत्वहीन नहीं है कि सरकार द्वारा इस निर्देश के किये जाने से पूर्व, स्टेट बैंक आफ इंडिया और दूसरे बैंकों ने, इस निर्वचन का अनुवर्तन किया था ।

35. अतः मेरी यह धारणा है कि यथापान्तरित शास्त्री अधिनिर्णय के अधीन क्षेत्र 4 में आने वाले स्थानों में नियोजित कर्मकारों की उपलब्धियों लेखे देसाई अधिनिर्णय के पैरा 5.362 में बैंकों के लिए मंजूर किया गया अनुतोष उन क्षेत्रों में नियोजित कर्मकारों लेखे भी उपलभ्य होगा जहां कि जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार, 30,000 से बढ़ जाती है और इस निर्देश द्वारा मुझे निर्देशित प्रश्न पर यही मेरा विनिश्चय है ।

36. मैं उल्लेखनीय समझता हूं कि निम्नलिखित बैंकों, अर्थात्—

(1) नारंग बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2) न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, (3) नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लिमिटेड, (4) ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, (5) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, (6) पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड, और (7) सलेम बैंक लिमिटेड तथा निम्नलिखित संघों, अर्थात्

(1) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लायीज़ फेडरेशन (बंगाल सर्कल),

(2) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लायीज़ फेडरेशन (दिल्ली सर्कल),

(3) आल इंडिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लायीज यूनियन, मद्रास,

(4) बिहार प्राविंशियल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लायीज़ एसोसियेशन,

(5) सलेम बैंक एम्प्लायीज़ यूनियन, (6) यू० पी० बैंक एम्प्लायीज़ यूनियन, (7) श्री एस० सी० पटेल, अपने लिए तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आनन्द शाखा के कर्मकारों की ओर से, (8) नेदुंगदी बैंक एम्प्लायीज़ यूनियन, कालीकट और (9) बैंक एम्प्लायीज़ एसोसियेशन साऊथ कन्नड़, की ओर से भी पृथक् लिखित कथन फाइल किये गये, किन्तु उनकी ओर से, सुनवायी के समय, कोई पृथक् निवेदन नहीं किये गये । वास्तव में, इंडियन इंश्योरेंस एण्ड बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से श्री मंजिल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा लेबर सेक्रेटेरिएट ऑफ बैंक्स इन इंडिया के प्रधि-निधि श्री सेतलूर द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया । मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि श्री एस० कृष्णन, सहायक महासचिव, ऑल इंडिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लाइयीज़ यूनियन, मद्रास ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लायीज़ फेडरेशन की ओर से श्री दूधिया द्वारा और आल इंडिया स्टेट बैंक आफ इंडिया एम्प्लायीज़ फेडरेशन तथा ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लायीज़ फेडरेशन की ओर से श्री सोवानी द्वारा किये गये निवेदन अपनाये ।

37. श्री मंडल ने आग्रह किया है कि इस विनिश्चय के फायदे अन्तर्गत वृद्धियां, भविष्य निधि अंशदान, विशेष भत्ते और अतिकाल संदाय भी होने चाहिये । इस संबंध में उन्होंने मुझे अपने एसोसियेशन के लिखित कथन के प्रति निर्दिष्ट किया है जिसका मैंने ऊपर पैरा 13 और 18 में निर्देश किया है । सरकार ने एसोसियेशन को संबोधित अपने 3 मार्च, 1964 वाले पत्र में यह कथित किया था कि ये विषय इस निर्देश के अधीन प्रश्न से सम्बद्ध हैं । अतः श्री मंडल ने आग्रह किया है कि मैं इस विनिश्चय द्वारा निदिष्ट करूं कि बैंक इन संदायों अर्थात् वृद्धियों, भविष्य निधि अंशदान, विशेष भत्तों तथा अतिकाल संदायों लेखे उन अनुतोषों के फायदे के लिए हकदार नहीं हैं जो पैरा 5.362 के अधीन उनके लिए मंजूर किये गये थे । किन्तु मेरी राय यह है कि कोई अधिकरण जिसे धारा 36क के अधीन निर्देश किया गया हो केवल उस विशिष्ट विनिर्दिष्ट प्रश्न को विनिश्चत करने की अधिकारिता रखता है जो उसे निर्वचन के लिए निर्दिष्ट किया गया है और वह किसी अन्य विषय पर जो निर्दिष्ट प्रश्न से सम्बद्ध भी क्यों न हो, तब तक विनिश्चय नहीं दे सकता जब तक वह भी उसे विनिर्दिष्टतया निर्दिष्ट नहीं किया जाता । अतः मैं समझता हूं कि यदि मैं श्री मंडल द्वारा आग्रह किये गये विषयों पर कोई निदेश या विनिश्चय दूं तो मैं अपनी अधिकारिता से आगे बढ़ जाऊंगा ।

खर्चों की बाबत कोई आदेश नहीं ।

सलीम एम० मर्चेंट, पीठासीन आफिसर
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई ।

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 11th May 1965

No 3/1/65/PAC.—The Speaker has been pleased to appoint Shri R. R. Morarka, M.P. as the Chairman of the Committee on Public Accounts for the term ending on the 30th April, 1966.

No. 3/1/65/PAC.—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been duly elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term ending on the 30th April, 1966 :

Members of Lok Sabha

1. Shrimati Akkamma Devi.
2. Shri Ram Dhani Das.
3. Shri Gulabrao Keshavrao Jedhe.
4. Shri Cherian J. Kappen.
5. Shri R. Keishing.
6. Shri M. R. Krishna.
7. Shri B. P. Maurya.
8. Shri R. R. Morarka.
9. Shri V. C. Parashar.
10. Shri Nanubhai N. Patel.
11. Shri C. L. Narasimha Reddy.
12. Shri G. Yallamanda Reddy.
13. Shri Prakash Vir Shastri.
14. Shri Surendra Pal Singh.
15. Shri U. M. Trivedi.

Members of Rajya Sabha

16. Shri M. P. Bhargava.
17. Shri Chandra Shekhar.
18. Shri S. C. Deb.
19. Shri R. S. Panjhazari.
20. Shri Ram Sahai.
21. Shri Niranjan Singh.
22. Shri Atal Bihari Vajpayee.

H. N. TRIVEDI, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

PANEL ON LABOUR POLICY

New Delhi, the 11th May 1965

No. L&E(L)11-1/64.—In partial modification of Resolution No. L&E(L)11-1/64 dated the 30th January, 1965, the following names are added to the list of the Members of the Panel on Labour Policy :

Members

1. Shri P. M. Menon,
   Secretary,
   Ministry of Labour & Employment,
   New Delhi-1.
2. Shri V. K. R. Menon,
   Mandi House,
   New Delhi-1.

Member-Secretary

Shri B. N. Datar,
Chief, Labour & Employment,
Planning Commission,
New Delhi-1.

K. A. P. STEVENSON, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd May 1965

No. 12/29/63-E.Pty.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government hereby directs that all property in India, movable and immovable, belonging to, or held by, or managed on behalf of, Mr. SHU FAI CHIH *alias* CHI FAI CHI, Shoe Shop, Kalimpong which vests in the Custodian of Enemy Property for India by virtue of the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. 12/29/63-E.Pty. dated the 17th July 1963, shall cease to vest in the said Custodian and shall revest in the said Mr. SHU FAI CHIH *altas* CHI FAI CHI.

The 10th May 1965

No. 12/28/63-E.Pty.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government hereby directs that all property in India, movable and immovable, belonging to, or held by, or managed on behalf of Mr. CHUNG TE FANG, Shoe Shop, Kalimpong, which vests in the Custodian of Enemy Property for India, by virtue of the Notification of the Government of India, in the late Ministry of Commerce and Industry No. 12/28/63-E.Pty. dated the 17th July 1963, shall cease to vest in the said Custodian and shall revest in the said Mr. CHUNG HS FANG.

D. N. BANERJEE, Jt. Secy.

New Delhi, the 13th May 1965

AMENDMENT

No. 1(6)-Tex(I)/65.—In the Government of India, Ministry of Commerce Notification No. 1(6)-Tex(I)/65, dated the 14th April, 1965 published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated the 1st May, 1965, the following amendment shall be made namely :—

In the said Notification, for entry 20 the following shall be *substituted*, namely,

"20 Dr. P. C. Mehta, Ahmedabad."

A. G. V. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

RESOLUTION

New Delhi, the 13th May 1965

No. 7(1)Met/63.—On a representation received from the Metal Corporation of India Ltd., Calcutta, for revision of the price of zinc produced by them and announced in the late Ministry of Commerce and Industry Resolution No. 15(15)Met/58, dated the 5th December 1959, as amended in that Ministry's Resolutions No. 15(1)Met/60, dated the 22nd April 1961 and No. 7(1)Met/62 dated the 19th June 1962 and Notification No. 7(1)Met/63, dated the 22nd April 1963, the Government of India have decided that the fair selling price ex-Calcutta of zinc produced by the Metal Corporation will now be Rs. 1589 per Metric Ton with effect from the 1st April 1964 till further orders.

The Metal Corporation of India, M/s. Tata Iron and Steel Co. and M/s. Indian Iron and Steel Co. are requested to take note of the above revision for appropriate action.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

R. N. VASUDEVA, Jt. Secy.

(Department of Iron and Steel)

Draft amendment of Public Notice

New Delhi, the 11th May 1965

PUBLIC NOTICE

SUBJECT :—*Introduction of ISI Certification Marks Scheme for steel.*

No. SC(C)-2(44)/63-II.—The following amendment is made in para 4(b) of the Public Notice No. SC(C)-2(44)/63-II dated 4-1-1965 published in the Gazette of India Part I, Section 1 dated 16th January, 1965.

Delete para 4(b)

Substitute

"4(b) Untested steel lying in stock with the Producers including Regd. Re-rollers and Secondary Producers/Stockists etc. as at the midnight of 31-3-65/1-4-65 may be sold up to 30-9-65 at the prevailing prices of corresponding commercial specification on the date of despatch/delivery and if there are more than one grade in the corresponding commercial specifications then at the price applicable to the lowest of these grades". Other terms/conditions remain unchanged.

NAGENDRA BAHADUR,
Iron and Steel Controller

MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY

(Department of Industry)

New Delhi, the 11th May 1965

AMENDMENT

No. EEI-6(28)/64.—Reference Ministry of Industry and Supply (Department of Heavy Engineering) Resolution No. EEI-6(28)/64, dated the 24th December, 1964 constituting a Panel to study the requirements of pig iron for various foundries.

2. In para 3 of the Resolution under "The Panel will consist of the following", the following amendments shall be made :

Substitute against S. No. (4) :

Shri K. C. Khanna, Superintendent, Blast Furnaces, Durgapur Steel Plant, Durgapur.

Add after S. No. (5) :

(6) Shri P. R. Nair, Deputy Iron and Steel Controller, Calcutta.

The existing S: No. (6) shall be renumeber as S. No. (7).

3. It has been decided that the Panel will submit its report to Government of India by the 31st August, 1965 instead of the 30th April, 1965.

K. N. SHENOY, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(Department of Agriculture—I.C.A.R.)

New Delhi the 17th May 1965

No. 10-3/65-Com.II.—In exercise of the powers conferred by clause 3(i) of the Resolution of the Government of India in the late Ministry of Agriculture No. F. 43-11/48-Comm., dated the 21st May, 1949 (as amended from time to time), the Central Government is pleased to nominate Dr. B. P. Pal, Director General and Vice-President, Indian Council of Agricultural Research as President of the Indian Central Arecanut Committee, with effect from the 10th May, 1965 (F.N.) *vice* Dr. M. S. Randhawa.

R. K. RAM, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 13th May 1965

No. F.1-5/63-PE2.—In partial modification of this Ministry's Notification No. F. 1-5/63-PE2 dated the 16th July, 1963 regarding the reconstitution of the All India Council of Sports, Shri K. N. Channa, Financial Adviser in the Ministry of Finance has been nominated as member of the All India Council of Sports *vice* Shri V. T. Dahejia.

N. M. TAGORE, Asstt. Educational Adviser (PE).

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 14th May 1965

No. 55(23)/63-LRIV.—The following decision of the Industrial Tribunal, Bombay in respect of the matter referred to it under section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) by the order of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 483, dated the 3rd February, 1964 seeking correct interpretation of the provisions of the award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes), Bombay relating to the relief to be granted to the banks in respect of the employees in Area IV of the Sastry Award, is hereby published for general information.

O. P. TALWAR, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. COIT-23 of 1964

EMPLOYERS IN RELATION TO CERTAIN BANKING COMPANIES AND CORPORATIONS

and

THEIR WORKMEN

Present :—Shri Salim M. Merchant, Presiding Officer.

Appearances

For the Banks	Shri R. Setlur, Solicitor of Messrs. Crawford Bayley & Co., Solicitors with Shri N. R. Pandit, on behalf of the Labour Secretariate of Banks in India.
For the State Bank of India	Shri R. Setlur, Solicitor of Crawford Bayley & Co., with Shri Venkatachari, Personnel and Law Officer, State Bank of India.
For the workmen of the State Bank of India	Shri H. K. Sewani, Advocate, for the All India State Bank of India Staff Federation.
For the Workmen of the Banks	Shri K. K. Mundul, Vice-President with Shri V. M. Chitnis, Central Committee Member, for the All India Bank Employees' Association.
	Shri C. L. Dudhia, President with Shri V. N. Sekhri, General Secretary for the All India Bank Employees' Federation.
	Shri M. R. Sud, General Secretary, All India Bank Employees' Federation, Kanpur.
	Shri N. K. Sumar, President, Punjab Pradesh Bank Workers' Federation, Karnal.
	Shri M. Rajgopal, General Secretary, All India Bank of Baroda Employees' Federation.

Industry : *Banking.* State : All India

Dated at Bombay, the 31st day of March 1965.

DECISION

The Central Government, by the Ministry of Labour and Employment's Order No. 55(23)/63-LRIV dated 3rd February 1964, made in exercise of the powers conferred by Section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act XIV of 1947), was pleased to refer for decision to me certain difficulties which in its opinion have arisen as to the interpretation in respect of the question specified in the following schedule to the said order arising out of the Award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes), Bombay published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 29th June 1962 with S.O. No. 2028 dated the 13th June 1962 :—

SCHEDULE

"Whether the relief granted to banks in paragraph 5-362 of the award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes) published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3 sub-section (ii) dated the 29th June 1962 with S.O. No. 2028 dated the 13th June 1962 in respect of the emoluments of workmen who were employed at places falling within area IV under the Sastry Award (as modified), would also be available in respect of the workmen employed in areas where the population, according to 1961 census, exceeds 30,000".

2. After the parties had filed their written statements the reference was taken up for hearing and the arguments concluded on 22-12-1964.

3. I may at the very outset state that this reference has now only a retrospective interest inasmuch as the disputed Area IV has ceased to exist in respect of A and B class Banks from 1-9-1964 under the agreement dated 18-8-1964 reached at a Tripartite Conference held by the Chief Commissioner of Labour, at New Delhi and Area IV for 'C' class Banks has ceased to exist from 1-1-1965 under another Tripartite agreement dated 20-8-1964. This reference, therefore, now has relation only to the past and whatever interpretation is placed on the directions contained in paragraph 5.362 of the Award of the National Industrial Tribunal (Banks Disputes) (hereinafter referred to as the Desai Award) will not have any prospective or recurring effect. In other words, the effect of the decision in this reference will be limited in the case of A and B class banks till 31-8-1964 and in respect of 'C' class Banks till 31-12-1964.

4. It is necessary, in considering the provisions of para 5.362 of the Desai Award, to state that the Award of the All India Industrial Tribunal (Bank Disputes), Bombay, (popularly known after the Chairman of the Tribunal as the Sastry Award) as modified by the Labour Appellate Tribunal of India and the Industrial Disputes (Banking Companies) Decision Act, 1955 (Act 41 of 1955), was in force in the Banking industry till the Desai Award came into operation.

5. The Sastry Award (as modified) classified the areas for the purpose of wage fixation into four as under :—

Class I area.—Cities of Calcutta, Bombay, Madras, Delhi and Ahmedabad, as defined in paragraph 79 of the Sastry Award.

Class II area.—All towns and cities other than those included in Class I area, which according to the census report of 1951, possess a population of one lac or more.

Class III area.—All towns and cities, not included in Class I and Class II, areas and which according to the census report of 1951 contain a population of more than thirty thousand each.

Class IV area.—All places not already included in Class I, Class II and Class III areas.

6. It may be noticed that the class IV area was introduced by the modification order of the Government of India and upheld by the recommendations of the Bank Award Commission legalised under Act 41 of 1955. It is the case on behalf of the Unions that the workmen were dissatisfied with the creation of the area IV and had been agitating for its abolition, and this question came up for consideration before the Desai Tribunal in the form of classification of areas. The Desai Tribunal dealt with the issue of classification of areas by paragraphs 4.130 to 4.190 of its award, and under the directions given in paragraphs 4.177, 4.180 and 4.183 it abolished area IV as far as the Commercial Banks, the State Bank of India and the Subsidiaries of the State Bank of India respectively were concerned.

7. In paragraph 4.184 of its award the Desai Tribunal noted that the difference in the total remuneration payable by the A, B and C class Banks under the Sastry Award as modified, to the clerical staff and the members of the subordinate staff in Area III and in Area IV was very large. It then went on to observe that the difference would be further accentuated if the total remuneration payable under its award in respect of Area III, was considered. The Tribunal then went on to observe :

"If Area IV is abolished at once there will be a sudden steep increase in the total remuneration of workman at present employed in Area IV. It is desirable that the change should be gradual. It is further desirable that in the same place the total remuneration payable to a workman should not differ having regard to the fact whether a bank has opened a branch after my award or before my award comes into force. Accordingly, I am providing for a short transitional period during which progressively higher wages will be paid in Area IV until they come in level with those paid in Area III, and Area IV will cease to exist."

8. The Desai Tribunal, however, retained areas I, II and III under the following directions given in paragraphs 4.189 and 4.190 of its Award :—

"4.189. Under this award (1) Area I will comprise (1) City of Bombay including Greater Bombay, (2) City of Calcutta including Howrah, Barrackpore, Behala, Alipore, Cassipur, Garden Reach, Barangore, Tollygunge, South Suburban Municipal Area and Dum Dum, (3) City of Delhi including the New and Old Delhi and Delhi Shahdra, (4) City of Madras, (5) City of Ahmedabad, (6) City of Hyderabad comprising areas falling within the Hyderabad Municipal Corporation limits, Secunderabad, Secunderabad Cantonment and outlaying urban units being University Area, Mulkajgiri, Alwal, Zamistapur, Attapur, Fathenagar, Dewannalli, Talaguda, Kandikal and Machabolirum, (7) Bangalore comprising areas falling within the Bangalore Corporation limits, area notified under the Bangalore City Improvement Trust Board Act, excluding satellite townships and satellite towns within the Trust Board area, (8) Kalyan, (9) Thana, and (10) Uttarpara and all places which may have a population of more than twelve lacs.

(II) Area II will comprise all cities other than these included in Area I which have a population of one lac or more, and Bhivandi, Chandernagore, Chandigarh, Chinsurah, Cochin, Dombivli, Ferozepore, Kakinada, Nasik, Pimpri, Pondicherry, Raipur, Shillong, Tirunelvelli and Tuticorin.

(III) Area III will comprise all places not already included in Area I and II.

4.190. For the purpose of the classification of areas only the latest available all India Census figures should be taken into account. A similar direction was given by the previous Tribunals and it seems to me to be a salutary direction. Until the final official population figures of the latest 1961 census are available provisional figures as officially published should be adopted."

9. Consequent upon the abolition of area IV, the Desai Tribunal gave relief to the Banks as per directions contained in paragraph 5.362 of its award. The object of providing this relief was that if no relief was granted to the Banks other than banks in the Excepted List, there would be a sudden rise in the burden which the banks would have been unable to bear in connection with basic pay and dearness allowance and in connection with provident fund contribution and other benefits granted to workmen which are dependent on the amount of their basic pay. After setting forth in a tabulated form the total emoluments under the Sastry Award (as modified), payable in the 1st year of Service in area IV and the total emoluments under the Desai Award payable in the first year of service in area III, if no relief was granted to the Banks, the Desai Tribunal observed,

"In view of the large difference between the two sets of emoluments I consider that the burden should not fall upon the Banks all of a sudden but should fall gradually, so that the banks should be able to adjust themselves to the new scales of pay and dearness allowance. I accordingly direct that all workmen who, immediately prior to the date when this award becomes enforceable under the provisions of section 17-A of the Industrial Disputes Act, 1947, were entitled to receive basic pay according to the scales of pay applicable to Area IV under the Sastry Award as modified should, after they are fitted in the new scales of pay applicable to Area III, be paid by way of basic pay and dearness allowance (i) from 1st January 1962 till the end of the year 1962, 20 per cent less than what they would otherwise have received but for the relief hereby granted, (ii) from 1st January 1963 till the end of the year 1963, 15 per cent less than what they would then have been entitled to receive if no relief had been granted from the very commencement (*i.e.* from 1st January 1962), (iii) from 1st January 1964 till the end of the year 1964, 10 per cent less than what they would then have been entitled to receive if no relief had been granted from the very commencement (*i.e.* from 1st January 1962), and (iv) from 1st January 1965 till the end of the year 1965, 5 per cent less than what they would then have been entitled to receive if no relief had been granted from the very commencement (*i.e.* from 1st January 1962). From and after 1st January 1966 they will receive the same amount which they would otherwise have received but for the reliefs hereby granted. The reliefs provided as aforesaid will also be available in respect of workmen to whom the provisions of the Sastry Award as modified do not apply and who were employed at places falling within Area IV immediately prior to the date when this Award becomes enforceable. Notwithstanding anything herein contained no such workman will be paid a lesser amount by way of total emoluments consisting of basic pay and dearness allowance than what he would have received if this award was not made applicable to him. The amount of such difference will be paid to him by way of special adjustment allowance until the same is fully absorbed by reason of the increasing amounts becoming payable to him by way of basic pay and dearness allowance under this award."

10. The All India Bank Employees' Federation has submitted in its written statement that whilst implementing the Desai Award, the Banks had mis-interpreted the provisions of the Award and had treated the workmen of the erstwhile area IV at par with the workmen of these places in Area IV the population of which had increased as per 1961 census and the places were to be up-graded as a result of the increased population. It has contended that the relief granted to the Banks in paragraph 5.362 of the Desai Award can only be made available in areas under the Sastry Award, where the population was below thirty thousand prior to and after the 1961 census. In other words it has urged that the Banks cannot claim the relief provided in paragraph 5.362 of the Desai Award in respect of the workmen employed in those class IV areas, the population of which exceeds 30,000 according to the 1961 census. It has urged that there is no justification for treating these areas as Area IV for the purposes of the relief granted by para 5.362 of the Award, as such areas were in the normal course to be upgraded to area III as a result of the rise in the population and the workmen of such areas were legally entitled to get their emoluments adjusted as per Area III scales. It has in conclusion urged that the contrary view and interpretation taken by the banks is not only unjustified and discriminatory but illegal and against the provisions and spirit of the Desai Award as well as the modified Sastry Award. It has, therefore, prayed that the Tribunal should direct that the Banks are not entitled to the relief granted by para 5.362 of the Desai Award in respect of workmen employed in areas IV where the population, according to the 1961 census exceeds 30,000.

11. The All India State Bank of India Staff Federation has, in its written statement, after referring to the various relevant paragraphs of the Desai Award, already referred to by me, stated that the point of difficulty is as to whether the relief granted to the Banks under para 5.362 of the Desai Award would also be available to them in area IV under the Sastry Award whose population as under the 1961 census has gone above the 30,000 figure. It has urged that apart from the Desai Award's directions what is necessary to consider is, what would have been the position even under the Sastry Award as modified, of the employees employed in Area IV, when its population according to the 1961 census exceeded 30,000. It has argued that when the modification order of the Government prescribed that the areas with population 30,000 or below should be included in category IV, it did not mean that if a particular town was classified in area IV it would always remain in area IV irrespective of the fact that its population had increased beyond 30,000. In other words, that it was never intended that the town which had been classified in area IV under the Sastry Award as amended, will always continue to remain in that area. It has urged that even under the Sastry Award a town whose population goes beyond 30,000 would automatically stand up-graded, and that under the Desai Award also, a town in area IV of the Sastry Award, which had a population of 30,000 or more under the 1961 census, it would automatically cease to be in category IV and whatever relief had been granted to the Bank for its such area IV employees would not be applicable to it in respect of such a town, because such relief was to be applicable only to an area with a population of less than 30,000. It has urged that in para 4.190 the Desai Award had, in unambiguous terms, directed that for the purpose of classification of areas only the latest available all India figure should be considered. Therefore, since the 1961 census figures are the latest available they alone should be taken into consideration. It has urged that the only conclusion to come to would be that the reliefs granted to the banks under para 5.362 would not be available to them in respect of the workmen employed in areas, where the population figure according to the 1961 census exceeded 30,000. It has stated that the State Bank of India has put the same interpretation in respect of towns in Delhi Circle, whose population according to the 1951 census was under 30,000 and whose population under 1961 census had exceeded 30,000 and this Union has, in para 12 of its written statement, given the names of 12 such towns in Delhi Circle.

12. The All India Bank Employees' Association (hereinafter referred to as the 'Association') in its written statement has traced at considerable length the historical background of the dispute going back to the time of the Sen Tribunal. It has also extracted several directions of the Desai Award, already referred to herein. It has pointed out that under para 5.362, the Desai Tribunal did not abolish the Area IV at once but gave relief to the Banks so that the burden of

the abolition of Area IV would not fall upon them all at once and the Banks may be able to adjust themselves to the new awarded scales of pay and dearness allowance. It has specifically referred to the provision in para 5.362 of the Desai Award relating to the Banks which were not governed by the Sastry Award and has extracted the following observation contained therein :—

> "The reliefs provided as aforesaid were also available in respect of the workmen to whom the provisions of the Sastry Award as modified do not apply and who were employed at places falling within Area IV immediately prior to the date when this award became enforceable",

The Association has also referred to the directions of the Desai Award relating to (1) the grant of yearly increments for clerical and subordinate staff (*see* paras 5.187 and 5.188), (2) Provident Fund Contribution (para 7.24), (3) Payment of Overtime (para 10.46), (4) Fitment of the different employees in the area (para 5.351), in support of its contention that the Desai Award envisaged that certain areas originally under Sastry Award would stand upgraded on account of increase in the population, the basis of which under the Sastry Award was the 1951 census and under the Desai Award the 1961 census, and according to the Association these provisions become enforceable under para 19.13 (1) of Desai Award from 1-1-1962.

13. I may pause here and State that Shri K. K. Mundul, the Vice-president of the Association, at the hearing also urged that the provisions in the Desai Award with regard to increments, provident fund contributions, special allowance and overtime payments were not touched for the purposes of the reliefs granted to the Banks under para 5.362.

14. But to continue, the Association in its written statement has referred to para 6.27 of the Desai Award for the purpose of considering the population of a town and in para 18 has urged that the Desai Tribunal was well aware that there could be differences in the final population figures and these made out provisionally and therefore after referring to up-gradation and down gradation in future on the basis of working funds, it had made the following provision in para 5.360 of its Award for the classification of areas :—

> "Provisions similar to those laid down above will apply *mutatis mutandis* when a place subsequently falls within a higher or lower area."

The Association in para 19 of its written statement has pointedly drawn attention to the observation of the Desai Award in para 4.147, and has submitted that it shows that the Indian Banks Association had taken the stand before the Desai Tribunal that the Census report published by the Government of India should alone be the basis for such classification. It has pointed out that the Exchange Banks Association (*see* para 4.148 of the Desai Award) and the State Bank of India, as also its Subsidiaries and the Northern India Banks Association (*see* paras 4.149, 4.150 and 4.151 of the Desai Award) had also taken a similar stand before the Desai Tribunal. The point that the Association was making was that whilst this Union was opposed to area-wise classification or classification on the basis of population, it was the Banks (through their various Associations) which had urged before the Desai Tribunal for classification on basis of population and that the Desai Tribunal had accepted that submission of the Banks and had given direction for classification on population area-wise basis as shown above.

15. The Association in para 23 of its written statement has urged that in implementing the Desai Award in respect of classification of areas, the Banks had taken it for granted that all places in Area IV under the Sastry Award would be treated as Area IV; whereas certain of these places had stood up-graded on the basis of the 1961 census. It has urged that thus not only had the Bank employees in such areas been deprived of the benefits of area III wages but had been paid 20% less wages in 1962; 15% less in the year 1963 and 10% less for the year 1964. It has also urged that this stand taken up by the Banks is also contradictory because such of the Banks as were not governed by the Sastry Award have classified areas on the basis of the 1961 census; whereas other banks have retained the classification according to the 1951 census. It has stated that there are certain areas which have been classified by some Banks as Class III areas whilst certain other Banks have classified the same areas as class IV Area.

16. The Association in para 24 of its written statement of claim has pointed out that on 31-12-1961 *viz.* the date immediately prior to the date when the Desai Award became enforceable with retrospective effect, the areas with population of 30,000 and below were to be deemed as areas IV for purposes of availing of the relief under para 5.362 and without such categorisation would sue-note be under the Desai Award. It has submitted that it therefore followed that an area with a population exceeding 30,000 would be excluded from the operation of the provisions of section 5.362.

17. The Association has urged that the basis for ascertainment of population as prescribed by paras 4.190 and 6.27 of the Desai Award was the 1961 census and that any construction placed on para 5.362 whereby reliance is placed on 1951 census figures would nullify the material directions of the Desai Award.

18. The Association has also submitted that the application of the 1961 census on all areas envisages upgradation of several areas either to area I or to Area II or to Area III from the previous categorisation under the 1951 census. It has pointed out that some of the former Area III places under 1951 census had to be up-graded to Area II as per the 1961 census and that necessarily Area IV under the 1951 census would stand to be upgraded to Area III if its population exceeds 30,000 under the 1961 census. It has submitted that to reason otherwise would be to give a double relief to the banks, which was never the intention of the Tribunal. In other words it has urged that if an Area IV under the 1951 census figures is up-graded to Area III under the 1961 basis adopted by the Desai Tribunal, the employees in these areas would be entitled to wages of Area III with effect from 1-1-1962, the date from which the pay scales, special allowance and dearness allowance under the Desai Award came into operation under paras 5.347 and 19.13 of the Award. The Association has submitted that some banks have accepted this contention, but the claim of the workmen for retrospective effect from 1-1-1962 is still existing. The Association has submitted that the relief granted to the banks under para 5.362 of the Desai Award was in respect of pay as on 1-1-1962 and not on the future increments or the increase in the dearness allowance in future and that the table given under para 5.362 of the Desai Award was a proof of its contention. It has stated that the Banks had reduced the rates of yearly increments and also the increases in dearness allowance in the proportion of 20%, 15% and 10% for the years 1962, 1963 and 1964 respectively, which it has submitted was not justified as their is no provision in para 5.362 for relief in respect of special allowance and the consequential dearness allowance on the same. The Association had stated that by its letter dated 16th September 1963 it had raised a dispute in the matters of the reduction in the quantum of increments, dearness allowance thereon, overtime payments and contribution to Provident Fund, but the Government of India had only made the reference which is the subject matter of this enquiry and had advised the Association by its letter dated 3rd March 1964 (Annexure 'A') that the matters pertaining to the Union's grievances with regard to deduction in increments, provident fund, overtime etc. were linked with the issue referred for clarification to this Tribunal under this Reference. The Association in paragraphs 35 of its written statement of claim, has submitted the directions which should be given in this reference and it has urged that the reduction of 20%, 15%, 10% for 1962, 1963, 1964 respectively provided for in para 5.362 should apply only to the basic pay and dearness allowance and not to the other allowances namely overtime allowance, increments, provident fund contribution etc. It has, therefore, submitted that the reference should be answered by the Tribunal directing that the reliefs granted by paragraph 5.362 is in respect of emoluments of workmen who were employed in places falling within Area IV under the Sastry Award (as modified) would not be available in respect of workmen employed in areas where the population according to the 1961 census exceeds 30,000.

19. I must now notice the written statement filed on behalf of (1) the State Bank of India and (2) on behalf of the Banks in general by the Labour Secretariat of the Banks in India.

20. The State Bank of India in its written statement dated 15th June 1964 has stated that there is no scope for any doubt or difficulty and that the true and correct interpretation of the directions in para 5.362 of the Desai Award is that the reliefs are applicable in respect of those branches or offices of the banks which immediately prior to the date when the said award became enforceable were classified as in Area IV under the Sastry Award as modified, or in the case of banks not governed by the Sastry Award as modified, which were in places having a population of 30,000 or less according to the 1951 census.

21. The State Bank of India has next submitted that the interpretations placed by the Unions on the provisions of para 5.362 have proceeded on two basic assumptions which were unwarranted and untenable *viz.* (i) that the Sastry Award as modified provided for the automatic upgradation of places in area IV to Area III irrespective of 1961 census report and (ii) that the Desai Tribunal had directed that in determining the area-wise classification according to the Sastry Award as modified, particularly Area IV, regard should be had to the 1961 census figures whether provisional or final. With regard to the first assumption the State Bank of India has contended that it is abundantly clear that the area-wise classification under the Sastry Award as modified, was exclusively based on census figures of 1951 and there is no direction in the Sastry Award as modified for either up-grading or down-grading a place.

22. With regard to the second assumption, the State Bank of India has stated that it was obvious that the Desai Tribunal had directed that there should be only three areas. It has urged that by no stretch of imagination could it be said that the Desai Award had defined Area IV which, according to its own directions was not to exist at all; that wherever the Desai Award talked of Area IV, it referred to it, "as Area IV of the Sastry Award as modified" or, "the erstwhile Area IV".

23. It has urged that neither of the two assumptions can be met without doing violence to the language and directions not only of the Desai Award but also of the Sastry Award. It has, further submitted that this Tribunal has no jurisdiction to supplement either the Sastry or the Desai Award when dealing with the question under reference which has been referred to it under Section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947. It has urged that if the contention of the Unions were to be accepted, it would result in totally nullifying the relief given by the Desai Tribunal by paragraph 5.362 of its award and would set at nought the reasons for which such relief was given.

24. The State Bank has then proceeded in its written statement to reply to the various contentions and submissions made in their written statements by the All India State Bank of India Staff Federation and the State Bank of India Employees' Association, Delhi Circle. It is not necessary to reproduce these submissions as I shall deal with those relevant later when discussing the merits of the submissions made by the representatives of both parties.

25. The written statement of the Labour Secretariat of the Banks in India dated 24th of March 1964, has followed the pattern of the written statement filed on behalf of the State Bank of India and has urged the same preliminary objections and contentions as have been urged by the State Bank of India. It has in its written statement dealt with the contentions and submissions contained in the written statements of claim filed by the All India Bank Employees' Association and the All India Bank Employees' Federation and I shall deal with these contentions and submissions when I deal with the reference on its merits.

26. In deciding this reference I shall bear in mind the scope and limitation of an enquiry under Section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947) as laid down by the Honourable Supreme Court, in the case of Kirlosker Oil Engines Limited, Kirkee Poona and its workmen and two others (1961 II LLJ p. 675), where their Lordships have observed that the proceedings contemplated under Section 36A are not intended for the Tribunal to review or modify its orders and that its scope is limited to the determination of the difficulties and doubts arising as to interpretation of any provision of any award and any question about the propriety, correctness of validity of the Award would be outside the purview of the enquiry contemplated by the Section.

27. Shri Setlur for the Banks has contended that the schedule to the order of reference itself postulates that the Area IV is the Area IV in the Sastry Award (as modified) and that the question is whether there is a scope under Section 5.362 to increase the benefits to areas where the population according to the 1961 census exceeds 30,000. He has contended that the question referred to is not whether there is any doubt or difficulty with regard to the interpretation of any directions of the Award, but whether the provisions of para 5.362 of the Desai Award should apply to areas with population of more than 30,000 under the 1961 census. This according to him amounts to the Government not asking the Tribunal to interpret the award, but to supplement it.

28. In my opinion, his objection to the reference is not sustainable. The order of reference clearly specifies that difficulties have arisen as to the interpretation of the said Award in respect of the question specified in the schedule to the said order. The schedule clearly specifies the question as to the interpretation of which doubts and difficulties have arisen and the short question is whether the reliefs granted to the Banks under para 5.362 of the Desai Award in respect of emoluments of workmen employed in Area IV under the Sastry Award (as modified) would also be available in respect of the workmen employed in areas where the population according to the 1961 census exceeds 30,000. There can be very little doubt that the reference relates to the areas under the Sastry Award which were class IV areas, because their population under the 1951 census was less than 30,000, but whose population under the 1961 census had increased to over 30,000. There could be no question any other area having been referred to as there is no class IV area under the Desai Award. In my opinion, what has been referred to by the Government is the question of what is the proper interpretation of the directions contained in paragraph 5.362 of the Desai Award relating to the reliefs to Banks in respect of the emoluments to employees in class IV area under the Sastry Award (as modified), whose population under the 1961 census has gone above 30,000. This, in my opinion, is a reference as to interpretation of a paragraph (Para 5.362) of the Desai Award and not a supplementation of any part of that Award. In the result, I hold that the reference is valid and the objection to its validity urged by Shri Setlur is not maintainable.

29. Without prejudice, Shri Setlur has next urged that under the reference the scope of the interpretation is confined to para 5.362 of the Desai Award and that the intention of the Tribunal and its mind must be interpreted as disclosed by the words it has used in that paragraph of its Award. That no doubt is true, but in a limited sense. In interpreting the scope of the Directions contained in any part of an Award in this case Para 5.362 of the Desai Award, it would, in my opinion, not only be permissible, but also necessary, to refer to other connected paragraphs of the Award which would throw light on what was the real intention of the Tribunal in the directions which it gave under the disputed para of its Award and it is for this very reason that both sides, in their respective written statements and in the submissions, have referred to and relied upon the other paragraphs of the Award which, in their opinion, were relevant and necessary to determine the intention of the Tribunal in giving the directions it has given in para 5.362 of its Award.

30. The history of the area-wise classification in the Banking industry has already been noted in the written statement of the parties referred to above. The Desai Award has dealt with the question of area-wise classification in para 4.130 of its Award. It is clear from the discussions in the Desai Award that the representatives of the Bank employees had agitated before it for abolition of all areas, particularly of Area IV under the Sastry Award and that was the main reason why the Area IV came to be abolished by the directions contained in the Desai Award. The Desai Award classified banks into three classes to indicate or reflect their paying capacity and also provided area-wise classification, on the basis of the cost of living in those areas, bigger towns with higher population being considered costlier than smaller towns with lesser population. As rightly pointed out by Shri Dudhia a population line had to be drawn to differentiate the cost of living in the various classes of areas from the point of view of determining the cost of living which forms one of the basis on which wage scales and other benefits were granted to the workmen. There is also not the

least doubt, that whilst the Sastry Award adopted the 1951 census figures for determining the population basis for the area-wise classification, the Desai Award had adopted the 1961 census figures as its basis. The Desai Tribunal in paragraph 4.190 of its award has stated that for the purposes of classification of areas, "only the latest available all India census figures should be taken into account". It went on to observe that a similar direction was given by the previous Tribunal (Sastry Tribunal) and that this was a salutary direction. It is for these reasons that the Tribunal directed as follows in paragraph 4.190 of its Award :—

> "Until the final official population figures of the latest 1961 census are available, provisional figures as officially published should be adopted."

Therefore, it is quite clear that the classification of the areas under the Desai Award had to be on the basis of the 1961 census population figures. Now, the Desai Tribunal has in Para 4.134 of its Award discussed the basis of area-wise classification adopted by the Sastry Tribunal and in subsequent paragraphs traced the history of how the area-wise classification came to be finally amended by the Bank's commission. In para 4.41 of its Award the Desai Tribunal has dealt with the opposition of the Unions to area-wise classification and in paragraphs 4.162, 4.165, 4.167 and in 4.172 it has considered the arguments that were urged by the Banks for retention of the Area IV, and it came to the finding that the lower scales of pay prescribed for Area IV had not resulted in more branches of Banks being opened in these areas, and in paragraph 4.177, it recorded its conclusion that there was no necessity for the retention of Area IV as far as the Commercial Banks are concerned. In para 4.180, it came to the conclusion that Area IV should not be retained so far as the State Bank of India was concerned and in para 4.183 it stated that the reasons stated by it for the abolition of Area IV in connection with the State Bank of India, equally well applied to its subsidiaries and that those banks should fall in line with the remaining banks in the country in connection with Area IV and in the last line of para 4.183 it expressed its opinion as follows :—

> "I am of the view that these banks should also fall in line with the remaining banks in the country in connection with Area IV. In my view Area IV needs to be abolished."

In para 4.184, the Desai Tribunal noted that the difference in the total remuneration payable by A,B,C class banks under the Sastry Award (as modified) to the clerical staff and the members of the subordinate staff in Area III and in Area IV was very much. It further noted that the difference would be further accentuated if the total remuneration payable under its own Award if Area III is considered. It observed that if Area IV is abolished all at once there would be a sudden steep increase in the total remuneration of workmen at present employed in Area IV. It therefore, observed as follows :—

> "It is desirable that the change should be gradual. It is further desirable that in the same place the total remuneration payable to a workman should not differ having regard to the fact whether a bank has opened a branch after my award or before my award comes into force. Accordingly, I am providing for a short transitional period during which progressively higher wages will be paid in Area IV until they come in level with those paid in Area III and Area IV will cease to exist."

31. Shri Sowani, who appeared for the All India State Bank of India Staff Federation and the All India Bank of Baroda Federation, argued that the effect of paragraph 5.362 read with the directions given in paragraphs 4.184 was that Area IV did not stand abolished as on 1-1-1962 but continued for a further period and will stand abolished in 1966, but till then the provisions of para 5.351 will apply with regard to the upgradation by increased population under the census figure of 1961. It is, therefore, necessary to refer to the directions given in paragraph 5.351 of the Desai Award, which is a short paragraph, in which the Tribunal in clear terms directed as follows :—

> Para 5-351 "As a result of the extinction of Area IV and the upgradation of places falling in various Areas as from 1st January 1962 workmen employed at places in Area IV and other Areas according to the Sastry Award as modified will be fitted in the new scales of pay applicable to the areas in which such places fall under this award."

All the representatives of the Unions have relied upon this paragraph of the Award and there is not the least doubt that by this paragraph what the Desai Award meant was that the workmen employed at places in Area IV under the Sastry Award (as modified) will be fitted in the new scales of pay for areas in which those places fall under the Desai Award. As I pointed out earlier there is not the least doubt that the Desai Award had adopted the 1961 census population figures as the basis for the classification of three areas prescribed by it. Therefore, when in paragraph 5.351 of its Award the Desai Tribunal directed that workmen employed at places in Area IV and other areas according to the Sastry Award as modified were to be fitted in the new scales of pay applicable to the areas in which such places fall under its Award, what it meant was that the employees of the "erstwhile Area IV" (and this expression the Desai Award has repeatedly used in its award) should be fitted into the scales of pay applicable to areas classified on the basis of 1961 census figures. Now, on the basis of the 1961 census figures under the Desai Award places with a population of less than 1,00,000 (one Lakh) were to be classified in Area III [*see* paragraph 4.189 sub-para (iii)]. Therefore, the directions contained in para 5.362 read with the directions contained in para 5.351 can only mean that the workmen in places in Area IV under the Sastry Award as modified, whose population had under the 1961 census increased to over 30,000, were to be fitted into the scales of pay prescribed under the Desai Award for Banks in Area III but the banks were to get the relief stated in para 5.362 *viz.* that in 1962, 1963, 1964 and 1965 they were to pay 20 percent, 15%, 10% and 5% less respectively for each of those years till the reliefs to the Banks ceased in 1966 and "Area IV was completely extinguished." I am, more than satisfied, as contended by Shri Sowani and Shri Dudhia, that paragraph 5.351 refers to the 1961 census figures of population and therefore towns in Areas IV under the Sastry Award as modified, whose population had gone above 30,000 under the 1961 census would be deemed to have been upgraded to Area III under the Desai Award. I accept Shri Sowani's contention that this paragraph visualises that those falling in the higher area under the 1961 census will get the higher grade of pay.

32. Shri Setlur had drawn my attention on the fact that in para 5.351, there is no reference to the 1961 population figures. That no doubt is true, but the words "the areas in which such places fall under this Award" can have no other meaning except places which fall into a particular area under the 1961 population census figures bearing in mind the clear directives given in the earlier para 4.190 of this Award, to which attention has already been drawn.

In this connection the representative of the workmen have also referred to the directions contained in paragraph 5.353 and 5.354, which have referred to the fitment of workmen falling into "the second group". Under para 5.347 of the Award Second Group consists of "workmen who on first January 1962 were employed in banks which were not governed by the provisions of the Sastry Award (as modified) and who were not drawing basic pay on the footing of the scales of pay provided by the Sastry Award as modified". Now, with regard to the fitting of this second group of workmen into the pay scales awarded in the Desai Award, the Desai Tribunal in paragraphs 5.354 directed that, "the workmen will as on 1-1-1962 be first fitted in the appropriate scales of pay provided under the Sastry Award as modified having regard to the working funds of the banks concerned and the places where the workmen were employed", and under paragraph 3.555 gave the direction that, "after the workmen have been notionally so fitted, they will again be re-fitted into the new scales provided by this Award on the basis of the provision applicable to the workmen in the first group as set out above", the earlier paragraph being paragraph 5.357. I accept the contention urged by Shri Mundul and which has been supported by the submissions made by Shri Dudhia and Shri Sowani that if their interpretation were not accepted, it would lead to the anomalous position that workmen of a bank not governed by the Sastry Award as modified which had a population say of 31,000 under the 1961 census would get the full grade III scales benefit under the Desai Award, whilst the employees of the Banks governed by the Sastry

Award in Class IV areas having a population of 31,000 under the 1961 census would not get the full benefit of grade III scales of pay. They have rightly urged that this inconsistency or anomaly should not be allowed to arise and that it can be dissolved by putting both employees in Class IV areas of Banks governed by the Sastry Award as modified and employees in class IV areas of Banks which were not covered by the Sastry Award, being treated on the same footing under the Desai Award, and that that was the intention of the Desai Award.

33. Parties have also referred to the directions contained in paragraphs 5.358 which provides that, "in future whenever a bank as a result of the increase in its working funds as provided is upgraded, the workmen then employed in the bank will have to be fitted in the scales of pay applicable to the class to which that bank has been upgraded." I do not think that this direction excluded workmen in areas IV under the Sastry Award getting the benefit of the scales of pay for Class III areas when under the 1961 census its population exceeds 30,000. If the intention of Desai Tribunal had been otherwise it would have given a direction to that effect. On the contrary, from the various paragraphs of the Desai Award it is clear that it had no such intention.

I am satisfied from the submissions of the workers' representatives and as per the directions contained in the Desai Award, as stated earlier, that the Desai Award did mean to upgrade the Area IV under the Sastry Award as modified into Area III, if under the 1961 census figures the population of such a place had gone up beyond 30,000.

34. I may state that it is not without significance that the State Bank of India and other Banks had followed this interpretation before this reference came to be made by the Government.

35. I, therefore, hold that the relief granted to banks in para 5.362 of the Desai Award in respect of the emoluments of the workmen who were employed at places falling within Area IV under the Sastry Award (as modified), would also be available in respect of the workmen employed in areas where the population, according to 1961 census, exceeds 30,000 and this is my decision on the question referred to me by this reference.

36. I may note that separate written statements were also filed on behalf of the following Banks *viz.*, (1) Narang Bank of India Ltd., (2) New Bank of India Ltd., (3) National Bank of Lahore Ltd., (4) Oriental Bank of Commerce Ltd., (5) Laxmi Commercial Bank Ltd., (6) The Punjab and Sind Bank Ltd., and (7) Salem Bank Ltd., and also the following Unions *viz.*, (1) State Bank of India Employees Federation (Bengal Circle), (2) State Bank of India Employees Federation (Delhi Circle), (3) All India Overseas Bank Employees' Union, Madras, (4) Bihar Provincial Central Bank of India Employees' Association, (5) Salem Bank Employees' Union, (6) U.P. Bank Employees Union, (7) Shri S. C. Patel for self and on behalf of the workmen of the Anand Branch of State Bank of India, (8) Nedungadi Bank Employees' Union, Calicut and (9) Bank Employees' Association South Kanara, but no separate submissions were made at the hearing on their behalf. In fact, Shri Manzil for the Indian Insurance and Banking Corporation Ltd. adopted the arguments urged by Shri Setlur, who represented the State Bank of India and the Labour Secretariat of Banks in India. I may here also state that Shri S. Krishnan, Assistant General Secretary, All India Overseas Bank Employees' Union, Madras, adopted the submissions made by Shri Dudhia on behalf of the All India Bank Employees' Federation and Shri Sowani on behalf of the All India State Bank of India Employees' Federation and All India Bank of Baroda Employees' Federation.

37. Shri Mundul has urged that the benefit of this decision should also cover the benefit by way of increments, provident fund contribution, special allowance and overtime payments. In this connection he has referred me to his Association's written statement to which I have referred in paras 13 and 18 supra. Now, the Government in their letter to the Association dated 3rd March 1964 had stated that these matters were allied to the question under this reference. Shri Mundul has, therefore, urged that I should direct by this decision that the Banks were not entitled to the benefits of the reliefs which were granted to them under para 5.362 in respect of these payments *viz.* increments, provident fund contribution, special allowance and overtime payments. But I am of the opinion that a Tribunal to which a reference is made under Section 36A has only jurisdiction to decide the particular specific question which is referred to it for interpretation and cannot give a decision on any other matter even allied to the question referred to it unless the same is also referred to it in specific terms. I, therefore, feel that if I give any direction or decision on the points urged by Shri Mundul, I would be exceeding my jurisdiction.

38. No order as to costs.

SALIM M. MERCHANT, Presiding Officer,
Central Government Industrial Tribunal, Bombay.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965